IAS GS World PCS

Committed To Excellence

आलेख सार

अंक -1

संपादकीय Analysis 360°

एक कदम, सफलता की ओर...

प्रिय अभ्यर्थियों!

जैसा कि आप जानते हैं, कि जी०एस० वर्ल्ड प्रबंधन पिछले कुछ वर्षों से लगातार आपके अध्ययन सामग्री की गुणवत्ता संवर्धन हेतु सतत प्रयासरत है, जिसके लिए दैनिक स्तर पर अंग्रेजी समाचार पत्रों का सार एवं जीएस वर्ल्ड टीम द्वारा सहायक सामग्री उपलब्ध करायी जाती है। साथ ही साप्ताहिक स्तर पर हिन्दी समाचार पत्रों का सार उपलब्ध कराया जाता था, किंतु सिविल सेवा परीक्षा के बढ़ते स्तर एवं बदलते प्रश्नों को देखते हुए जीएस वर्ल्ड प्रबंधन ने साप्ताहिक समाचार पत्रों के सार के स्थान पर अर्द्धमासिक स्तर पर **संपादकीय Analysis 360°** आरंभ किया है।

संपादकीय Analysis 360° में नया क्या है?

1. इसमें महत्वपूर्ण मुद्दों पर विभिन्न हिन्दी समाचार पत्रों में आए संपादकीय लेखों का सार उपलब्ध कराया जा रहा है।
2. इन संपादकीय लेखों को समग्रता प्रदान करने के लिए इनसे जुड़ी सभी बेसिक अवधारणाओं को जीएस वर्ल्ड टीम द्वारा उपलब्ध कराया जा रहा है।
3. इन मुद्दों से संबंधित 2013 से अब तक सिविल सेवा परीक्षा में पूछे गए प्रारंभिक एवं मुख्य परीक्षा के प्रश्नों को भी नीचे दिया गया है, जिससे अभ्यर्थी उस मुद्दे से जुड़े प्रश्नों को समझ सके।
4. इन मुद्दों से संबंधित संभावित प्रश्नों को भी इन आलेखों के साथ दिया गया है, जिसका अभ्यास अभ्यर्थी स्वयं कर संस्थान में अपने उत्तर की जांच भी करा सकते हैं।

जीएस वर्ल्ड प्रबंधन आपके उज्ज्वल एवं सफल भविष्य के लिए प्रतिबद्ध है...

नीरज सिंह

(प्रबंध निदेशक, जीएस वर्ल्ड)

चिकित्सा क्षेत्र में बड़ा बदलाव

यह आलेख सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र-II (शासन व्यवस्था) से संबंधित है।

हाल ही में जारी राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग के मसौदे के संबंध में पक्ष-विपक्ष को लेकर हिन्दी समाचार पत्रों बिजनेस स्टैंडर्ड, प्रभात खबर एवं नवभारत टाइम्स में प्रकाशित लेखों का सार दिया जा रहा है, जिसे जीएस वर्ल्ड टीम द्वारा इस मुद्दे से जुड़ी अन्य सहायक जानकारियों को उपलब्ध कराकर एक समग्रता प्रदान की जा रही है।

'बिजनेस स्टैंडर्ड' का सार

राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग (एनएमसी) विधेयक अब संसद की स्थायी समिति को भेजा जा चुका है। विधेयक को स्थायी समिति के पास भेजने का फैसला असल में भारतीय चिकित्सा संघ (आईएमए) की तरफ से दी गई देशव्यापी हड़ताल की धमकी को देखते हुए किया गया है। करीब तीन लाख डॉक्टरों के संगठन आईएमए को आशंका है कि चिकित्सा क्षेत्र के नियामक की भूमिका भारतीय चिकित्सा परिषद (एमसीआई) की जगह एनएमसी को सौंपने से निर्मम व्यवस्था शुरू हो जाएगी। हालांकि अपनी छवि सुधारने को लेकर बेफिक्र पेशे की चिंताओं को तो नजरअंदाज किया जा सकता है लेकिन यह चिंता जरूर है कि क्या भ्रष्टाचार से पस्त स्वास्थ्य क्षेत्र की हालत सुधारने के लिए विधेयक में रचनात्मक प्रावधान किए गए हैं? वैसे विधेयक में इसे स्वीकार किया गया है कि एमसीआई के तहत बनी स्व-नियमन प्रणाली चिकित्सा व्यवसाय के सभी मोर्चों पर नाकाम रही है।

भारत में प्राथमिक एवं तृतीयक स्तर की स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं की गुणवत्ता खुद ही अपनी कहानी बयां कर देती है। चिकित्सा की शिक्षा बहुत महंगी है, दुर्लभ है और इसका पाठ्यक्रम भी ऐसा है कि एक पूर्व स्वास्थ्य सचिव ने 'बाजार में डॉक्टरों की भरमार के बावजूद उनके प्रशिक्षण को झोलाछाप डॉक्टरों से थोड़ा ही बेहतर' बताया था। निस्संदेह मेडिकल कॉलेजों के भारी अभाव की स्थिति में नियमन की प्रक्रिया भी भ्रष्टाचार में डूबी रही है। नए विधेयक में इन विसंगतियों को दूर करने के लिए कई प्रावधान किए गए हैं-

1. पहला, एनएमसी एक छाते की तरह काम करने वाली नियामकीय संस्था होगी। इसमें केंद्र सरकार 25 सदस्यों की नियुक्ति करेगी जिनमें भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद और स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय के प्रतिनिधि भी होंगे।
2. यह आयोग स्नातक और परास्नातक चिकित्सा शिक्षा का नियंत्रण करने वाले दो निकायों की निगरानी करेगा। एक निकाय मेडिकल कॉलेजों में शिक्षा के स्तर पर नजर रखेगा जबकि दूसरा निकाय नीतिगत मसलों एवं पंजीकरण संबंधी मसले देखेगा। एनएमसी चिकित्सा पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए होने वाली राष्ट्रीय अर्हता एवं प्रवेश परीक्षा (एनईईटी) का भी नियंत्रण करेगा और प्रैक्टिस करने की मंशा रखने वाले डॉक्टरों को लाइसेंस देने के लिए एक नई परीक्षा का भी आयोजन करेगा।

'प्रभात खबर' का सार

राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग के गठन के लिए वित्त मंत्री अरुण जेटली के नेतृत्व में एक मंत्रियों का समूह (जीओएम) बनाया गया, फिर प्रक्रिया शुरू हुई और महज कुछ महीने में ही ' राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग विधेयक 2017' की रूपरेखा बना दी गयी. नीति आयोग में संबंधित पक्षों की कई जनसुनवाई, बैठकें, विमर्श के बाद अब लगभग विधेयक तैयार है और संभव है कि इसे आगामी सत्र में संसद में पेश भी कर दिया जायेगा.

प्रस्तावित आयोग में कुछ खास नयी बात तो नहीं है, लेकिन इसमें सरकारी अंकुश और प्रशासनिक नियंत्रण बहुत ज्यादा है. वर्तमान चिकित्सा परिषद एवं आयुष की विभिन्न चिकित्सा परिषदों में चिकित्सकों का वर्चस्व है. इन परिषदों में सदस्यों का चुनाव लोकतांत्रिक तरीके से होता है. हालांकि, इसी लोकतांत्रिक प्रक्रिया की खामियों का फायदा उठाकर कुछ खास चिकित्सकों का परिषद पर कब्जा बना रहा है और उन पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप भी लगते रहे हैं.

भारतीय चिकित्सा परिषद के पूर्व अध्यक्ष डॉ केतन देसाई पर तो परिषद में लंबे समय से चल रहे बड़े भ्रष्टाचार के आरोप लगे. ऐसे ही आयुर्वेद, होमियोपैथी, प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी चिकित्सा परिषद के अधिकारियों पर भी भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप हैं. कई पर तो अब भी सीबीआई कोर्ट में मुकदमा चल ही रहा है.

इसमें संदेह नहीं कि स्वास्थ्य क्षेत्र में भ्रष्टाचार की बढ़ती घटनाओं के मद्देनजर इन चिकित्सा परिषदों की प्रासंगिकता पर सवाल खड़े हो रहे थे. चिकित्सा शिक्षा की गुणवत्ता में गिरावट, स्तरहीन चिकित्सा महाविद्यालयों को मंजूरी, मरीजों के उपचार के नाम पर भ्रष्टाचार, चिकित्सा महाविद्यालयों में नामांकन में धांधली आदि के कई मामले प्रकाश में थे, फिर भी चिकित्सा परिषदों ने समुचित कार्रवाई नहीं की और चिकित्सा का 'प्रतिष्ठित सेवा क्षेत्र' एक 'गंदे व्यापार' में तब्दील होता चला गया. लगभग विगत डेढ़-दो दशक से इन चिकित्सा परिषदों पर भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं, लेकिन सुधार नहीं दिखा, तो अब मोदी सरकार ने एकदम कड़ा निर्णय लेकर इन परिषदों को भंग कर राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग बनाने का निर्णय ले लिया है.

नये प्रस्तावित आयोग में चुने हुए सदस्यों की संख्या बेहद कम होगी. लेकिन, इसमें सरकारी दखल ज्यादा होगी. जाहिर है, आयोग की स्वायत्ता लगभग खत्म हो जायेगी और लोकतांत्रिक प्रक्रिया से चुने हुए सदस्यों की भूमिका भी न के बराबर होगी. चिकित्सा अध्ययन और चिकित्सा कार्य पर प्रशासनिक अंकुश बढ़ेगा.

एक तरह से चिकित्सा में 'इंस्पेक्टर राज' की शुरुआत होगी, जो देखने में अच्छी तो लगेगी, लेकिन व्यवहार में यह कई दिक्कतें भी पैदा करेगी. जिस भ्रष्टाचार से मुक्ति के लिए वर्तमान चिकित्सा परिषद निशाने पर लिया गया है, वह भ्रष्टाचार अब दूसरे रूप में

3. इस विस्तृत ढांचे में अलग निकायों को शक्तियां दी गई हैं और भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने के लिए कई स्तरों पर नियंत्रण एवं संतुलन भी किया गया है।

सवाल यह है कि क्या विधेयक भारत में स्वास्थ्य क्षेत्र की बड़ी खामियों पर काबू पाने में कामयाब हो पाएगा? अनुभव तो यही कहता है कि नियामकीय संस्थाओं में सरकार की तरफ से की जाने वाली नियुक्तियां हमेशा बेहतर नियमन ही नहीं देती हैं। ऐसे में स्थायी समिति एनएमसी को अधिक चाक-चौबंद करने के तरीके तलाशेगी ताकि जान-पहचान के आधार पर होने वाली नियुक्तियों से बचा जा सके। इसके अलावा एनएमसी को मिले 'छाता' दर्जे के चलते बड़े बदलाव कर पाने की उसकी शक्तियों पर भी संदेह होता है।

विधेयक के मुताबिक राज्यों को अपने यहां तीन साल के भीतर चिकित्सा परिषदों का गठन करना होगा। यह प्रावधान एक तरह से राज्यों को जिम्मेदारियों से राहत ही देता है। चिंता की सबसे बड़ी बात वह सुझाव है जिसमें होम्योपैथिक और आयुर्वेदिक डॉक्टरों को भी 'ब्रिज कोर्स' करने के बाद एलोपैथिक दवाएं लिखने की इजाजत देने की बात कही गई है।

मसौदा समिति ने बड़ी आबादी के अनुपात में डॉक्टरों की कम संख्या को देखते हुए यह सुझाव दिया था लेकिन यह प्रस्ताव विभिन्न चिकित्सा पद्धतियों में किए गए विभाजन के मूलभूत सिद्धांत को ही नकारता है। जहां चिकित्सा नियामकीय व्यवस्था के कायाकल्प की जरूरत पर सवाल नहीं उठाया जा सकता है, वहीं यह भी सच है कि एक दोषपूर्ण विकल्प केवल बीमारी बढ़ाने का ही काम करेगा।

लाल फीतों में बंधकर सामने आयेगा. आप कह सकते हैं कि लोकतांत्रिक भ्रष्टाचार रूप बदलकर सांस्थानिक भ्रष्टाचार में दिखेगा.

नये प्रस्तावित आयोग में कई स्वायत्त बोर्ड के गठन का प्रस्ताव है, जिन पर चिकित्सा स्नातक और स्नातकोत्तर शिक्षण, प्रशिक्षण संचालित करने, चिकित्सा संस्थाओं का निरीक्षण, मूल्यांकन करने, उन्हें मान्यता देने अथवा न देने, चिकित्सा कार्य में लगे चिकित्सकों का पंजीकरण आदि की जिम्मेदारी होगी.

प्रस्तावित विधेयक के अनुसार, 'आयोग' में सरकार द्वारा मनोनीत अध्यक्ष और सदस्य होंगे. विभिन्न बोर्ड के सदस्यों का चयन कैबिनेट सचिव के अधीन एक निगरानी समिति करेगी. यह आयोग समय-समय पर चिकित्सकों की मूल्यांकन परीक्षा भी लेगा, ताकि चिकित्सकों की गुणवत्ता पर निगरानी रहे.

नया चिकित्सा आयोग विधेयक पारित होते ही मौजूदा सभी चिकित्सा परिषद भंग हो जायेंगी. जाहिर है, वर्तमान चिकित्सा ढांचे के ढहने का दुख और दर्द चिकित्सा व्यवस्था के कई ठेकेदारों को तो होगा ही, लेकिन वर्षों से सड़ी-गली सरकारी प्रशासनिक व्यवस्था से यह उम्मीद करना कि वे पारदर्शिता और ईमानदारी से भ्रष्टाचार व व्याप्त अव्यवस्था को सुधारने में कामयाब होंगे, यह अविश्वसनीय लगता है.

इस नयी प्रक्रिया से सार्वजनिक संस्थाओं का लोकतंत्र प्रभावित होगा. व्यवस्था और केंद्रीकृत होगी, भ्रष्टाचार का स्वरूप बदलेगा और चिकित्सक बनने की प्रक्रिया के कड़ा और जटिल होने से चिकित्सा व्यवस्था भी प्रभावित होगी.

बहरहाल, हम उम्मीद करते हैं कि संसद में पारित होने के बाद राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग पूरी जिम्मेदारी से चिकित्सा 'व्यवसाय' को 'सेवा' में तब्दील करने की दिशा में प्रयास करेगा. यदि ऐसा हो पाया, तो इसे निश्चित ही देश की सराहना मिलेगी.

भारतीय चिकित्सा परिषद का संस्थागत ढांचा

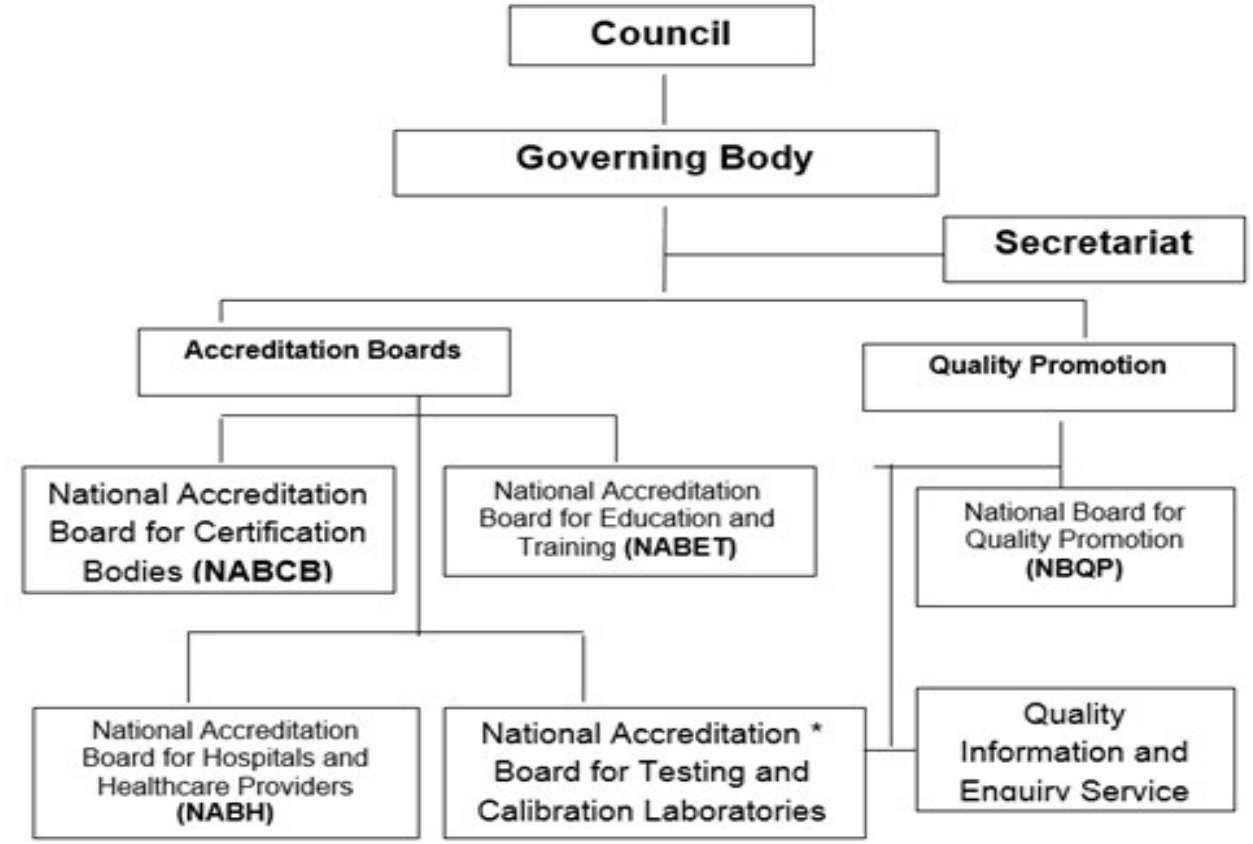

'नवभारत टाइम्स' का सार

मेडिकल एजुकेशन के मामले में सरकार ने बहुत बड़ी पहल की है। यह पहल है मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया (एमसीआई) की जगह नैशनल मेडिकल कमिशन (एनएमसी) गठित करने की। दोनों में बुनियादी फर्क यह है कि एमसीआई डॉक्टरों द्वारा चुनी गई डॉक्टरों की संस्था थी, जिसके साथ फर्जीवाड़े की शिकायत जुड़ी रही है। जबकि एनएमसी केंद्रीय कैबिनेट सचिव की देखरेख में देश के राष्ट्रीय स्वास्थ्य महानिदेशक और पांच आला सरकारी चिकित्सा संस्थानों के प्रतिनिधियों समेत कुल 25 सदस्यों वाली सरकारी संस्था होगी।

एमसीआई ने मेडिकल एजुकेशन ही नहीं, देश के मेडिकल ढांचे का भी बेड़ा गर्क कर रखा है। बाकी तीन प्रमुख प्रफेशनल शिक्षाओं इंजिनियरिंग, कानून और मैनेजमेंट का हाल भी खास अच्छा नहीं है, लेकिन चिकित्सा के मामले में दृश्य अंधेर नगरी चौपट राजा वाला हो चुका है। सरकारी मेडिकल कॉलेजों की तादाद एक अर्से से ठहर गई है। नए मेडिकल कॉलेज प्राइवेट सेक्टर में ही खुल रहे हैं, जहां हर स्तर पर धांधली है। राष्ट्रीय स्तर पर एक एंट्रेंस टेस्ट होता है, लेकिन राज्यों ने अपने गुप्त दरवाजे भी खोल रखे हैं।

सबसे बड़ी बात यह कि हर कॉलेज का अपना लंबा-चौड़ा मैनेजमेंट कोटा है, जिसमें पैसे देकर कोई भी एंट्री मार लेता है। कॉलेज को मान्यता मिलने और जारी रहने से लेकर सीटें बढ़ाने तक हर स्तर पर घूसखोरी की बात सरकारी जांच में सामने आ चुकी है। इसके चलते देश में जरूरत भर को डॉक्टर नहीं आ पा रहे। लेकिन इसका सबसे बड़ा नुकसान यह है कि अस्पतालों के लिए भी काबिल और नाकाबिल डॉक्टर के बीच फर्क करना मुश्किल हो गया है।

अभी तक एनएमसी और इसके साथ काम करने वाली मेडिकल अडवाइजरी काउंसिल के कामकाज का जो ढांचा सामने आया है, उसमें ऊपरी दखल और घूसखोरी की गुंजाइश कम लगती है। इससे मेडिकल सीट्स का बढ़ना तय है। लेकिन डॉक्टरों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए अभी इसमें सिर्फ एक बात, एमबीबीएस कर चुके छात्रों के लिए एक राष्ट्रीय परीक्षा (लाइसेंशिएट एक्जाम) नजर आ रही है, जिसे पास करने के बाद ही कोई डॉक्टर प्रैक्टिस करने का हकदार माना जाएगा।

यह खुद में बहुत बड़ी बात है और आगे चलकर शायद बाकी प्रफेशनल दायरों में भी एक ऐसे इम्तहान की जरूरत महसूस की जाए। इससे प्राइवेट मेडिकल कॉलेजों की देखरेख की भरपाई हो पाएगी या नहीं, इसका अंदाजा बाद में लगेगा।

जी.एस. वर्ल्ड टीम...

भारतीय मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया

भारतीय मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया को 1934 में भारतीय चिकित्सा परिषद अधिनियम, 1933 के तहत स्थापित किया गया था, अब इसे निरस्त कर दिया गया है, जिसमें भारत में और विदेशों में चिकित्सा योग्यताओं की उच्च योग्यता के समान मानकों की पहचान करने और मान्यता प्राप्त करने के मुख्य कार्य हैं। आजादी के बाद के वर्षों में मेडिकल कॉलेजों की संख्या लगातार बढ़ गई थी। यह महसूस किया गया था कि बहुत तेजी से हो रहे विकास और देश में चिकित्सा शिक्षा की प्रगति से उत्पन्न चुनौतियों के सामने भारतीय चिकित्सा परिषद अधिनियम के प्रावधान पर्याप्त नहीं थे । नतीजतन, 1956 में, पुराने कानून निरस्त कर दिया गया और एक नया अधिनियमित किया गया। इसे 1964, 1993 और 2001 में संशोधित किया गया था।

परिषद के उद्देश्य निम्नानुसार हैं: -

1. मेडिकल शिक्षा स्नातक और स्नातकोत्तर के स्तर पर एक समान मानक को बनाना
2. भारत या विदेशी देशों के चिकित्सा संस्थानों की मेडिकल योग्यता मान्यता/मान्यता के लिए सिफारिश।
3. मान्यता प्राप्त चिकित्सा योग्यता वाले चिकित्सकों के स्थायी पंजीकरण/अनंतिम पंजीकरण।
4. चिकित्सा योग्यता की पारस्परिक मान्यता के मामले में विदेशी देशों के साथ पारस्परिकता

विधेयक पर आईएमए का पक्ष

- आईएमए के अनुसार चिकित्सा पेशे को पूरी तरह से नौकरशाही और गैर-चिकित्सा प्रशासकों के प्रति जवाबदेह बनाकर एनएमसी चिकित्सा पेशे की कार्य पद्धति को आशक्त बना देगा।
- डा. अग्रवाल ने कहा, नियामकों को स्वायत्त और प्रशासकों से स्वतंत्र रहने की जरूरत है। राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग प्रशासकों द्वारा सीधे अपने नियंत्रण के तहत नियुक्त एक नियामक होगा।
- उन्होंने दावा किया कि यह मसौदा विधेयक भारतीय चिकित्सा परिषद को समाप्त कर देगा और संभवत: आईएमए अधिनियम की धारा 15 भी समाप्त हो जाएगी। इस धारा के अनुसार आधुनिक चिकित्सा प्रणाली में डॉक्टर बनने की न्यूनतम योग्यता एमबीबीएस है।
- डा. अग्रवाल ने कहा, लोकतांत्रिक संस्थान को खत्म करके एक इकाई बनाना पीछे जाने वाला कदम है क्योंकि इस इकाई में ज्यादातर लोगों को सरकार नामित करेगी।

संभावित प्रश्न

1. ''राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग को लेकर जारी विवाद के दो पक्ष हैं, जिसमें एक पक्ष चिकित्सा क्षेत्र की स्वायत्ता के लिए इसे हानिकारक बता रहा है, वहीं दूसरा पक्ष इसे चिकित्सा क्षेत्र में मौजूद भ्रष्टाचार को समाप्त करने का एक साधन बता रहा है।'' इस कथन के संदर्भ में पक्ष-विपक्ष का मूल्यांकन करें।

एफ.डी.आई. में नरमी

यह आलेख सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र-III (भारतीय अर्थव्यवस्था) से संबंधित है।

हाल ही में सरकार द्वारा एफडीआई नीति में बड़ा बदलाव लाया गया है, जिसके पक्ष-विपक्ष को लेकर हिन्दी समाचार पत्रों नई दुनिया, जनसत्ता एवं हिन्दुस्तान में प्रकाशित लेखों का सार दिया जा रहा है, जिसे जीएस वर्ल्ड टीम द्वारा इस मुद्दे से जुड़ी अन्य सहायक जानकारियों को उपलब्ध कराकर एक समग्रता प्रदान की जा रही है।

'नई दुनिया' का सार

- केंद्र सरकार ने साहसी कदम उठाया है। जिस समय भारतीय अर्थव्यवस्था को लेकर कुछ हलकों में चिंताएं जताई जा रही थीं, तब उसके ताजा फैसलों को मास्टरस्ट्रोक कहा जा सकता है। इससे दुनियाभर के निवेशकों में सकारात्मक संदेश जाएगा।
- गौरतलब है कि ये कदम उस समय उठाया गया है, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्विट्जरलैंड के शहर दावोस में होने वाली वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की सालाना बैठक में जाने की तैयारी में हैं। मोदी वहां 23 जनवरी को दुनिया की मशहूर कंपनियों के प्रमुखों को संबोधित करेंगे। साफ है, उसके पहले भारत में बड़े पैमाने पर विदेशी निवेश का मार्ग प्रशस्त किया गया है।
- इसके तहत अब सिंगल ब्रांड रिटेल में भी विदेशी कंपनियां ऑटोमेटिक रूट से शत-प्रतिशत निवेश कर सकेंगी। यानी ऐसे निवेश के लिए उन्हें पूर्व-अनुमति की जरूरत नहीं होगी। साथ ही ऐसी निवेशक कंपनियों के लिए भारत के घरेलू बाजार से 30 फीसदी खरीदारी करने की शर्त को आसान बनाया गया है।
- शर्तों में फेरबदल के बाद उम्मीद है कि ज्यादा-से-ज्यादा विदेशी कंपनियां भारत में कारोबार के लिए प्रोत्साहित होंगी। सिंगल ब्रांड के कारोबार में एच एंड एम, गैप और आइकिया जैसी कंपनियां पहले ही भारतीय बाजार में आ चुकी हैं।
- खबरों के मुताबिक 50 से भी ज्यादा कंपनियां इस क्षेत्र में आने को तैयार हैं। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को प्रोत्साहित करने की नरेंद्र मोदी सरकार की नीति काफी सफल रही है। 2013-14 में 36.05 अरब डॉलर का विदेशी निवेश आया था, जो 2016-17 में 60.08 अरब डॉलर तक पहुंच गया।
- अब चूंकि एनडीए सरकार ने फिर निवेशकों के अनुकूल निर्णय लिया है, तो ऐसे निवेश में और बढ़ोतरी हो सकती है। इससे भारतीय अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। विदेशी कंपनियां अपने साथ नई तकनीक और कार्यशैली भी लेकर आती हैं। इसका लाभ आम उपभोक्ता को मिलता है।
- देश के व्यापारी समुदाय में सरकार के ऐसे निर्णयों से कुछ चिंता पैदा होना स्वाभाविक है। सरकार को इसे दूर करने के लिए उनके संगठनों से संवाद कायम करना चाहिए। वैसे अतीत का अनुभव यही है कि विदेशी निवेश को लेकर जताई गई अधिकांश चिंताएं निराधार साबित होती हैं। अब सरकार ने कंस्ट्रक्शन डेवलपमेंट क्षेत्र में भी ऑटोमेटिक रूट से 100 फीसदी विदेशी निवेश की छूट दे दी है।
- इसके अलावा एक बड़ा फैसला एयर इंडिया में विदेशी कंपनियों को 49 प्रतिशत तक निवेश की हरी झंडी देना है, हालांकि इसके लिए सरकार की पूर्व अनुमति जरूरी होगी। एयर इंडिया में विनिवेश का फैसला सरकार पहले ही ले चुकी थी।

'जनसत्ता' का सार

- सरकार के साढ़े तीन साल बीत जाने के बाद भी अपेक्षित प्रत्यक्ष विदेशी निवेश नहीं जुटाया जा सका। नोटबंदी और जीएसटी के बाद विकास दर की रफ्तार सुस्त पड़ गई है। जबकि सरकार का लक्ष्य इसे आठ फीसद तक पहुंचाना है, पर वह संभव नहीं दिख रहा। महंगाई पर काबू पाना भी चुनौती बना हुआ है। ऐसे में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को बढ़ावा देने के मकसद से केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विदेशी कंपनियों के लिए एकल ब्रांड खुदरा कारोबार और भवन निर्माण के क्षेत्र में सौ फीसद निवेश का रास्ता खोल दिया है।
- खुदरा कारोबार में अभी तक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की सीमा उनचास फीसद थी। उससे अधिक के लिए सरकार से इजाजत लेनी पड़ती थी। इसके अलावा विमानन क्षेत्र में भी उनचास फीसद निवेश की छूट मिल गई है। माना जा रहा है कि इससे प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की दर में बढ़ोतरी होगी।
- हालांकि कुछ मजदूर संगठनों ने सरकार के इस फैसले का विरोध किया है। उनका मानना है कि इससे देसी कंपनियों के कारोबार पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। उनका तर्क है कि भाजपा ने अपने चुनाव प्रचार में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश का विरोध किया था, इसलिए भी यह फैसला असंगत जान पड़ता है। जबकि सरकार की चिंता इस बात को लेकर है कि प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को बढ़ावा दिए बगैर विकास योजनाओं को गति प्रदान नहीं की जा सकती।
- स्मार्ट सिटी बनाने, स्वच्छ भारत और वस्तुओं की कीमतें तर्कसंगत बनाने का सपना अधूरा रह जाएगा। माना जाता है कि बाजार में प्रतिस्पर्धा बढ़ने से कीमतों को संतुलित बनाने में सफलता मिलती है। दूरसंचार कंपनियों के बीच प्रतिस्पर्द्धा के नतीजे सामने हैं।
- इसी तरह प्रतिस्पर्द्धा से खुदरा वस्तुओं की कीमतों में कमी लाने की उम्मीद बनती है। विदेशी कंपनियों के आने से विमानन के क्षेत्र में भी प्रतिस्पर्द्धा बढ़ेगी। मगर इससे कितना प्रत्यक्ष विदेशी निवेश बढ़ेगा, जिससे दूसरे क्षेत्रों की सुस्ती मिटाने में मदद मिलेगी, कहना मुश्किल है।
- भारत जैसे देशों के सामने बड़ी चुनौती अपने उत्पादों के लिए बाजार तलाशना है। उत्पादन के क्षेत्र में यहां संतोषजनक तरक्की दिखती है, पर निर्यात के मामले में स्थिति बहुत खराब है। विदेशी बाजार में अपने उत्पादों के लिए जगह बना पाना कठिन काम बना हुआ है। जबकि विदेशी कंपनियों ने हमारे बाजार का काफी हिस्सा छेंक रखा है। आयात की दर निर्यात के मुकाबले काफी अधिक है।

- कई बेलआउट पैकेज के बावजूद अपने पैरों पर खड़ा रहने में विफल रही इस एयरलाइन में निजी क्षेत्र को हिस्सेदारी मिले, इस पर अब लगभग आम-सहमति बन चुकी है। अब चूंकि विदेशी कंपनियां भी हिस्सेदारी हासिल कर सकेंगी, तो उम्मीद की जानी चाहिए कि एयर इंडिया के प्रबंधन को अधिक पेशेवर बनाना संभव हो सकेगा।
- कुल मिलाकर यह कहने का आधार बनता है कि अर्थव्यवस्था को गति देना और देश को समृद्ध बनाना मोदी सरकार की शीर्ष प्राथमिकता बनी हुई है। उस दिशा में अब उसने कुछ और साहसी फैसले लिए हैं।
- ऐसे में खुदरा कारोबार में विदेशी कंपनियों के लिए सौ फीसद निवेश की छूट से बाजार में देसी कंपनियों और उत्पादकों के लिए और चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। कीमतें नियंत्रित करने के लिए विदेशी वस्तुओं से बाजार को पाट देना कोई अंतिम उपाय नहीं माना जाता। संतुलित विकास दर के लिए देसी कारोबार को बढ़ावा देना भी जरूरी होता है।
- पहले ही हमारे यहां छोटे और मंझोले कारोबार कठिनाइयों से गुजर रहे हैं। विदेशी कंपनियों के लिए निर्बाध रास्ता खोल देने से उनकी मुश्किलें और बढ़ेंगी। ऐसे में विदेशी के साथ-साथ देसी कंपनियों के लिए जगह बनाने के व्यावहारिक उपाय तलाशने की अपेक्षा स्वाभाविक है।

'हिन्दुस्तान' का सार

- विदेशी निवेश एक बार फिर चर्चा में आ गया है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी एफडीआई पर कई बड़े फैसले किए हैं। ये सभी फैसले काफी महत्वपूर्ण हैं, इसलिए यह भी कहा जा रहा है कि सरकार ने एक तरह से नई विदेशी निवेश नीति ही बना दी है।
- इन फैसलों में एक एअर इंडिया में विदेशी निवेश को लेकर है और कई अन्य फैसले अलग-अलग उद्योगों में विदेशी निवेश की इजाजत को लेकर हैं। सार्वजनिक क्षेत्र की भारतीय वायु सेवा एअर इंडिया में 49 फीसदी तक विदेशी निवेश हो सकेगा।
- इसके दो अर्थ हैं-एक तो यह कि सरकार ने अब यह पूरी तरह से स्वीकार कर लिया है कि लगातार घाटे में चल रही इस एयरलाइन्स में और ज्यादा सार्वजनिक पूंजी झोंकना निरर्थक है और दूसरा यह कि विदेशी निवेश के बावजूद इसका नियंत्रण विदेशी हाथों में नहीं पहुंचेगा। उम्मीद की जानी चाहिए कि इसके बाद एअर इंडिया पेशेवर प्रबंधन के हाथों में पहुंच जाएगी और बाजार की दूसरी एयरलाइन्स से स्पर्द्धा भी कर सकेगी।
- सबसे बड़ी बात यह है कि वह सार्वजनिक धन की बर्बादी के दौर से बाहर निकल आएगी। अभी तक भारत में जो निजी एयरलाइन्स काम कर रही हैं, उनमें भी 49 फीसदी विदेशी निवेश की इजाजत है, मगर एअर इंडिया को इससे अलग रखा गया था, अब उस पर भी यही नियम लागू होगा।
- मंत्रिमंडल के ताजा फैसलों में सबसे महत्वपूर्ण है एक ब्रांड का कारोबार करने वाली खुदरा कंपनियों को शत-प्रतिशत विदेशी निवेश की इजाजत देना। ऐसे मामले में अभी तक उन्हें सरकार की विशेष इजाजत की जरूरत पड़ती थी, पर अब इस रास्ते को पूरी तरह खोल दिया गया है।
- हालांकि मल्टी ब्रांड खुदरा कारोबार पर सरकार अभी भी मौन है। यह ऐसा क्षेत्र है, जिसमें पिछली सरकार ने ही निवेश की इजाजत दे दी थी, लेकिन तब भारतीय जनता पार्टी इसके विरोध में थी। यह अलग बात है कि भाजपा सरकार बनने के बाद उस नीति को बदला नहीं गया, लेकिन मल्टी ब्रांड विदेशी निवेशकों ने दूर रहने में ही भलाई समझी।
- खुदरा कारोबार में विदेशी निवेश हमेशा से विवाद का मसला रहा है। यही वजह है कि बुधवार को मंत्रिमंडल का फैसला आने के कुछ मिनट बाद ही भारतीय खुदरा कारोबारी संघ का इसके खिलाफ बयान भी आ गया। इसी के साथ ही मंत्रिमंडल ने विनिर्माण उद्योग के लिए शत-प्रतिशत एफडीआई के रास्ते को पूरी तरह खोल दिया है।
- इमारतें बनाने से लेकर कॉलोनी बसाने तक के कारोबार में लगी कंपनियों को भी अब विदेशी निवेश के लिए अलग से इजाजत लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। विदेशी निवेश पर मंत्रिमंडल के तमाम दूसरे फैसलों में एक यह भी है कि विद्युत एक्सचेंज के लिए भी 49 फीसदी तक विदेशी निवेश हो सकेगा।
- सरकार ने विदेशी निवेश के वे रास्ते खोले हैं, जिनके रोजगार के कई अवसर निकल सकें। इसीलिए सिंगल ब्रांड रिटेल में यह शर्त रखी गई है कि इसमें लगी कंपनियों को पांच साल के भीतर 30 फीसदी भारतीय माल उपयोग में लेना होगा।
- विकास दर का मामला भले ही सही राह पर जाता दिख रहा हो, लेकिन सरकार इस आलोचना से बचना चाहती है कि देश में रोजगार रहित विकास हो रहा है। हालांकि देश में रोजगार की समस्या अभी तक काफी बड़ी बनी हुई है और वह इतने भर से सुलझ जाएगी, यह उम्मीद तो नहीं की जा सकती, पर ऐसे प्रयास भी जरूरी हैं।
- अभी ऐसे बहुत सारे क्षेत्र हैं, जहां विदेशी निवेश के मामले में हिचक दिखाई देती है और इसे दूर करके हम कई और नए अवसर पैदा कर सकते हैं,लेकिन बेरोजगारी की समस्या बड़े पैमाने पर तभी दूर हो सकेगी, जब विदेशी निवेश के बाद स्वदेशी उद्योग भी उनसे मुकाबले के लिए डटकर खड़ा हो जाएगा।

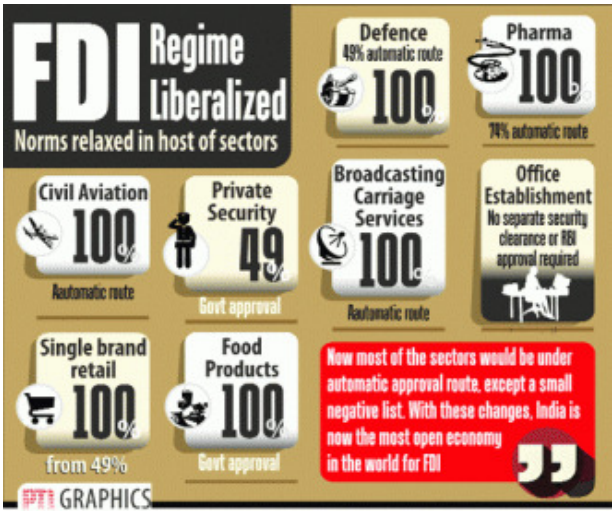

क्या है प्रत्यक्ष विदेशी निवेश/FDI?

- सामान्य शब्दों में किसी एक देश की कंपनी का दूसरे देश में किया गया निवेश प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी एफडीआई कहलाता है। ऐसे निवेश से निवेशकों को दूसरे देश की उस कंपनी के प्रबंधन में कुछ हिस्सा हासिल हो जाता है जिसमें उसका पैसा लगता है।
- आमतौर पर माना यह जाता है कि किसी निवेश को एफडीआई का दर्जा दिलाने के लिए कम-से-कम कंपनी में विदेशी निवेशक को 10 फीसदी शेयर खरीदना पड़ता है। इसके साथ उसे निवेश वाली कंपनी में मताधिकार भी हासिल करना पड़ता है।
- एफडीआई दो तरह के हो सकते हैं-इनवार्ड और आउटवार्ड। इनवार्ड एफडीआई में विदेशी निवेशक भारत में कंपनी शुरू कर यहां के बाजार में प्रवेश कर सकता है। इसके लिए वह किसी भारतीय कंपनी के साथ संयुक्त उद्यम बना सकता है या पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी यानी सब्सिडियरी शुरू कर सकता है।
- अगर वह ऐसा नहीं करना चाहता तो यहां इकाई का विदेशी कंपनी का दर्जा बरकरार रखते हुए भारत में संपर्क, परियोजना या शाखा कार्यालय खोल सकता है। आमतौर पर यह भी उम्मीद की जाती है कि एफडीआई निवेशक का दीर्घावधि निवेश होगा। इसमें उनका वित्त के अलावा दूसरी तरह का भी योगदान होगा।

क्या देश में एफडीआई संबंधी खास नियम कानून हैं?

सरकार ने एफडीआई के लिए सेक्टर विशेष और कारोबारी गतिविधियों की प्रकृति के हिसाब से नियम बनाए हुए हैं। उदाहरण के लिए, हीरे और बहुमूल्य पत्थरों के उत्खनन (माइनिंग) में एफडीआई के लिए सरकार से पूर्व अनुमति लेने की जरूरत नहीं है। इसमें रिजर्व बैंक को निवेश की रकम हासिल होने के 30 दिन के भीतर एक अधिसूचना भेजनी पड़ती है। इसके साथ ही संबंधित दस्तावेज विदेशी निवेशक को शेयर जारी किए जाने के 30 दिन के भीतर सौंपना पड़ता है। प्रसारण जैसे क्षेत्र में एफडीआई के लिए विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड (एफआईपीबी) से मंजूरी लेनी पड़ती है। कुछ खास क्षेत्रों में विदेशी निवेश की ऊपरी सीमा को लेकर भी कुछ नियम लागू हैं। निवेश के ये नियम एफडीआई और एफआईआई दोनों पर लागू होते हैं।

एफडीआई और एफआईआई निवेश में क्या अंतर है?

एफडीआई में किसी विदेशी कंपनी द्वारा देश में प्रत्यक्ष निवेश होता है जबकि एफआईआई यानी विदेशी संस्थागत निवेशक शेयरों, म्यूचुअल फंड में निवेश करते हैं। एफआईआई पार्टिसिपेटरी नोट, सरकारी प्रतिभूतियों, कमर्शियल पेपर वगैरह को निवेश माध्यम बनाते हैं। ज्यादातर एफडीआई की प्रकृति स्थायी होती है लेकिन बाजार में उथल-पुथल की स्थिति बनने पर एफआईआई जल्दी से बिकवाली कर निकल जाते हैं।

रिटेल का मतलब क्या होता है?

- रिटेल स्टोर वह है, जहां से तैयार चीजें सीधे कन्जयूमर तक पहुंचती हैं।

सिंगल ब्रैंड रिटेल स्टोर का मतलब क्या होता है?

- ऐसा स्टोर जहां इंटरनेशनल लेवल पर स्थापित एक ब्रैंड का एक ही प्रॉडक्ट बेचा जाएगा।एक ही कंपनी के मल्टीप्रॉडक्ट भी एक स्टोर में नहीं बेचे जा सकते।तैयार चीजें ही बिकेंगी। उसमें कोई बदलाव कर नए सिरे से बेचने की इजाजत नहीं है।

मल्टीब्रैंड रिटेल स्टोर का मतलब क्या होता है?

- मल्टीब्रैंड रिटेल स्टोर उसे कहेंगे, जिसमें एक छत के नीचे आपको कई ब्रैंड के प्रॉडक्ट मिल जाते हैं। कह सकते हैं कि आसपास मौजूद किराना दुकान का ही यह सुधरा हुआ रूप होगा।

मल्टीब्रैंड रिटेल स्टोर में काम करने वाली बड़ी कंपनियां कौन-कौन सी हैं?

- वॉलमार्ट, टिस्को, केयरफोर जैसी बड़ी कंपनियों के स्टोर दुनिया भर में फैले हुए हैं।

मल्टीब्रैंड रीटेल में एफडीआई के क्या फायदे हैं?

- इससे भारत में पूंजी का प्रवाह तेज होगा और मुल्क की इकॉनमी मजबूत होगी।इससे लगभग 1.5 करोड़ प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष नौकरियां पैदा होंगी। किसानों को बेहतर मुनाफा मिलेगा। उन्हें बिचौलिये से छुटकारा मिल जाएगा। उनसे माल सीधा खरीदा जाएगा, जिसके बदले उन्हें सही कीमत मिलेगी।ग्राहकों के पास सस्ती दरों पर प्रॉडक्ट खरीदने के कई विकल्प होंगे। कॉम्पिटिशन से कन्जयूमर को फायदा मिलेगा।

एफडीआई के नुकसान में दिए जाने वाले तर्क

- देसी बाजार पूरी तरह ध्वस्त हो जाएगा। छोटे और मंझोले दुकानदार कॉपिटिशन में नहीं टिक पाएंगे। उनका रोजगार ठप हो जाएगा।देसी बाजार से जुड़े लाखों लोगों से रोजगार छीन लिया जाएगा।भारत से कमाई कर विदेशी कंपनियां अपना मुनाफा तो कमाएंगी, देश को आमदनी नहीं होगी।

भारतीय इकॉनमी में रिटेल इंडस्ट्री की क्या अहमियत है?

- देश में असंगठित रीटेल इंडस्ट्री कुल जीडीपी का 14 फीसदी और कुल रोजगार का 7 फीसदी कवर करता है।

रिटेल में एफडीआई यह हो सकता है फायदा

- एफडीआई से अगले तीन साल में रिटेल सेक्टर में एक करोड़ नई नौकरियां मिलने की संभावना है।
- ऐसा माना जा रहा है कि किसानों को बिचौलियों से मुक्ति मिलेगी और अपने सामान की सही कीमत भी।
- सरकार मानती है कि रिटेल में एफडीआई से लोगों को कम दामों पर मिलेगा बेहतर सामान।
- शर्त के अनुसार विदेशी कंपनियां कम से कम 30 फीसदी सामान भारतीय बाजार से ही लेगी। इससे लोगों की आय बढ़ेगी और औद्योगिक विकास दर में भी सुधार होगा।बड़े शहरों में ही खुलेगी संगठित क्षेत्र की शॉप्स। सस्ता मिलेगा छोटे दुकानदारों को सामान।

रिटेल में एफडीआई से यह होगा नुकसान

विरोधियों का मानना है कि विदेशी कंपनियां सस्ता सामान बेचकर लुभाएंगी। देशी दुकानदार नहीं कर पाएंगे मुकाबला। रिटेल में विदेशी निवेश से छोटी दुकानें खत्म हो जाएगी और लोगों के समक्ष रोजगार का संकट पैदा हो जाएगा।छोटे दुकानदारों का धंधा ठप हो जाएगा और किसानों को भी उनकी उपज का वाजिब मूल्य नहीं मिलेगा।विदेशी कंपनियां 70 प्रतिशत सामान अपने बाजार से ही खरीदेगी और ऐसे में घरेलू बाजार से नौकरी छिनेगी।बड़ी विदेशी कंपनियां बाजार का विस्तार नहीं करेंगी बल्कि मौजूदा कंपनियों का अधिग्रहण कर बाजार पर ही काबिज हो जाएंगी।

सिविल सेवा में विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्न

1. अर्थव्यवस्था के कमोडिटी व्यापार पैटर्न में आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन पर बहु-व्यापार खुदरा क्षेत्र में एफडीआई प्रवेश के प्रभाव पर चर्चा करें। *(IAS 2013)*
2. हालांकि भारत ने सितंबर 2012 में संयुक्त उद्यम मार्ग के माध्यम से बहु-ब्रांड खुदरा नामक विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (एफडीआई) की मंजूरी दी है, लेकिन एफडीआई एक साल के बाद भी नहीं उठा है। कारणों पर चर्चा करें। *(IAS 2013)*
3. रक्षा क्षेत्रक में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (एफडीआई) को अब उदारीकृत करने की तैयारी है। भारत की रक्षा और अर्थव्यवस्था पर अल्पकाल और दीर्घकाल में इसके क्या प्रभाव अपेक्षित है? *(IAS 2014)*
4. यद्यपि 100 प्रतिशत विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (एफडीआई) पहले से व्यापार प्रकाशन और सामान्य मनोरंजन चैनल जैसे समाचार-इतर मीडिया में अनुमत है, तथापि सरकार काफी कुछ समय से समाचार मीडिया में वर्धित एफडीआई के प्रस्ताव पर विचार कर रही है। एफडीआई में बढ़ोतरी क्या अंतर पैदा करेगी? समालोचनापूर्वक इसके पक्ष-विपक्ष का मूल्यांकन कीजिए। *(IAS 2014)*
5. भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास में एफडीआई की आवश्यकता की पुष्टि कीजिए। हस्ताक्षरित समझौता-ज्ञापनों तथा वास्तविक एफडीआई के बीच अंतर क्यों है? भारत में वास्तविक एफडीआई को बढ़ाने के लिए सुधारात्मक कदम सुझाइए। *(IAS 2016)*
6. निम्नलिखित में से कौन सा/से भारत में 1991 में आर्थिक नीतियों के उदारीकरण के बाद घटित हुआ/हुए है/हैं? *(IAS 2016)*

1. जीडीपी में कृषि का अंश बृहत् रूप से बढ़ गया।
2. विश्व व्यापार में भारत के निर्यात का अंश बढ़ गया है।
3. एफडीआई का अंतर्वाह (इनफ्लो) बढ़ गया।
4. भारत का विदेशी विनिमय भंडार बृहत् रूप से बढ़ गया।

नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए।

(a) केवल 1 और 4
(b) केवल 2, 3 और 4
(c) केवल 2 और 3
(d) 1, 2, 3 और 4

संभावित प्रश्न

1. ''हाल ही में एफडीआई नीति में किए गए सुधार वर्तमान केंद्र सरकार के आर्थिक सुधारों का विस्तार ही है, जिनसे भारत की एक निवेश स्थल के रूप में पहचान सुदृढ़ हुई है।'' इस कथन का विश्लेषण करते हुए वर्तमान एफडीआई सुधारों के लाभ-हानि की चर्चा करें।
2. सिंगल ब्रांड रिटेल में एफडीआई को 100 फीसदी की अनुमति देने से लघु एवं मझोले उद्यमों पर पड़ने वाले प्रभावों की चर्चा करें तथा यह मल्टी ब्रांड रिटेल एफडीआई से कितना भिन्न है। इसकी चर्चा भी करें।

नागरिकता पर संशय

यह आलेख सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र-II (भारतीय राजव्यवस्था) से संबंधित है।

हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय के आदेश पर असम में निवास कर रहे लोगों की नागरिकता निर्धारित करने हेतु 'नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटिजन्स' के अद्यतन का कार्य चल रहा है, इस मुद्दे पर हिन्दी समाचार पत्रों नई दुनिया एवं नवभारत टाइम्स में प्रकाशित लेखों का सार दिया जा रहा है, जिसे जीएस वर्ल्ड टीम द्वारा इस मुद्दे से जुड़ी अन्य सहायक जानकारियों को उपलब्ध कराकर एक समग्रता प्रदान की जा रही है।

'नई दुनिया' का सार

असम में भारत के नागरिकों और अवैध रूप से वहां रह रहे विदेशी घुसपैठियों की पहचान करने का महती प्रयास एक महत्वपूर्ण मुकाम पर पहुंचा है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर तैयार हो रहे नागरिकों के रजिस्टर (एनआरसी) का पहला ड्राफ्ट नए साल की शुरुआत के साथ भारत के महापंजीयक एवं जनगणना आयुक्त के कार्यालय ने जारी किया। इससे पुष्टि हुई कि जिन तीन करोड़ 29 लाख लोगों ने असम का बाशिंदा होने का दावा किया था, उनमें से एक करोड़ 90 लाख लोगों के पास इसके पक्ष में वैध दस्तावेज हैं। बाकी एक करोड़ 39 लाख लोगों के दावों की जांच अभी बाकी है। यानी असल में असम में बांग्लादेशी घुसपैठियों की संख्या कितनी है, ये जानने में अभी कुछ वक्त लगेगा। उम्मीद है कि अगले कुछ महीनों में ये काम अपने ठोस निष्कर्ष पर पहुंच जाएगा।

गौरतलब है कि 1951 के बाद देश में पहली बार कहीं एनआरसी बन रहा है। असम में बांग्लादेशी घुसपैठियों का सवाल तीखे विवाद का विषय है। इस मुद्दे को लेकर 1980 के दशक में असम में व्यापक जन-आंदोलन हुआ था। उसकी समाप्ति तत्कालीन राजीव गांधी सरकार और ऑल असम स्टूडेंट्स यूनियन के बीच अगस्त 1985 में हुए समझौते से हुई। उसमें सहमति बनी कि 25 मार्च 1971 तक जो लोग असम में थे, उन्हें भारत का नागरिक माना जाएगा। चूंकि उस तारीख के बाद आए लोगों की पहचान करने का कोई दोषमुक्त प्रयास नहीं हुआ, इसलिए उस समझौते के बाद भी मसला जारी रहा। आखिरकार 2013 में सुप्रीम कोर्ट ने एनआरसी बनाने का निर्देश दिया। इसमें ये पैमाना रखा गया है कि जिन लोगों के परिजनों के नाम 1951 की एनआरसी या 25 मार्च 1971 से पहले की मतदाता सूचियों में थे, उन्हें भारत का नागरिक समझा जाएगा। स्पष्टत: यह बेहद संवेदनशील मामला है। इसलिए इसमें फूंक-फूंककर कदम रखा जा रहा है। ऐसा होना भी चाहिए। यह बेहद जरूरी है कि लोगों को अपनी नागरिकता के दावों को साबित करने के पर्याप्त अवसर मिलें।

बहरहाल, जब ये काम पूरा हो जाएगा, तब एक नई चुनौती सामने आएगी। जो लोग अपनी नागरिकता सिद्ध नहीं कर पाएंगे, उनका क्या किया जाएगा? क्या बांग्लादेश उन्हें वापस लेने के लिए आसानी से राजी होगा? या उन्हें शरणार्थी का दर्जा देकर देश के अलग-अलग हिस्से में बसाया जाएगा? असमवासी अक्सर यह सवाल उठाते रहे हैं कि आखिर घुसपैठियों/शरणार्थियों का सारा बोझ उनका राज्य अकेले क्यों उठाए? इसलिए बेहतर होगा कि केंद्र इस बारे में राजनीतिक सहमति तैयार कर एक प्रभावी कार्ययोजना बनाए। एनआरसी बनने का एक अन्य लाभ यह होगा कि भविष्य में घुसपैठियों की पहचान आसानी से होती रहेगी। लेकिन ऐसा तब बेहतर ढंग से हो सकेगा, अगर सारे देश में एनआरसी बने। पूर्ववर्ती यूपीए सरकार के समय ऐसा विचार आया था। उचित होगा कि उस पर चर्चा फिर शुरू हो। 2021 में होने

'नवभारत टाइम्स' का सार

असम में नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटिजन्स (एनआरसी) का पहला ड्राफ्ट जारी हो गया है। इसमें 1.9 करोड़ लोगों को ही भारत का वैध नागरिक माना गया है, जबकि कुल 3.29 करोड़ लोगों ने इसके लिए आवेदन किया था। सरकार का कहना है कि वेरिफिकेशन प्रक्रिया के बाद दूसरा ड्राफ्ट भी जारी किया जाएगा। गौरतलब है कि राज्य में अवैध तरीके से रहने वाले लोगों की पहचान के लिए सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर एनआरसी, 1951 को अपडेट करने का काम चल रहा है। वर्ष 1951 की जनगणना में शामिल अल्पसंख्यकों को भी राज्य का नागरिक माना गया है, लेकिन उलझन 1951 से 25 मार्च, 1971 के बीच आने वाले बांग्लादेशी शरणार्थियों को लेकर है। उनमें से ज्यादातर के पास कोई कानूनी कागजात नहीं हैं।

पंचायतों की ओर से जारी नागरिकता प्रमाणपत्र को मान्यता नहीं दी जा रही है। यही वजह है कि कई संगठनों ने एनआरसी को अपडेट करने की प्रक्रिया पर सवाल उठाते हुए इसके विभिन्न प्रावधानों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएं दायर की हैं, जिन पर एक साथ सुनवाई चल रही है। राज्य के कई मुस्लिम नेताओं का कहना है कि एनआरसी उन्हें घर से बेघर करने की साजिश है। असम में स्थानीय बनाम विदेशी नागरिकों का मुद्दा लंबे समय से राज्य के सामाजिक-राजनीतिक जीवन को उद्वेलित करता रहा है। असम के नागरिकों का आरोप है कि बांग्लादेश से बड़ी संख्या में आकर लोग उनके इलाके में बस गए हैं, जिससे राज्य की सामाजिक संरचना बिगड़ने की आशंका पैदा हो गई है। यह भावना कई शांतिपूर्ण और हिंसक आंदोलनों में भी व्यक्त होती रही है।

1980 के दशक में ऑल असम स्टूडेंट्स यूनियन (आसू) की अगुआई में हुए छात्रों के आंदोलन में यह मुद्दा बड़े पैमाने पर उठा। आखिरकार 2005 में केंद्र, राज्य सरकार और आसू के बीच असमी नागरिकों का कानूनी दस्तावेजीकरण करने के मुद्दे पर सहमति बनी और अदालत के हस्तक्षेप से इसका एक व्यवस्थित रूप सामने आया। असम में एनआरसी को अपडेट करने की प्रक्रिया इसी का नतीजा है। इस बार के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने इसे बड़ा मुद्दा बनाया। लेकिन इसका एक पहलू पूरे मसले को पेचीदा बनाता है। एक तो यह तय नहीं है कि गैर-नागरिक सिद्ध होने वालों का क्या होगा। क्या उन्हें देश के बाहर भेजना संभव है? क्या बांग्लादेश उन्हें स्वीकार करेगा? इस बारे में बांग्लादेश से कोई बात भी नहीं हुई है। दूसरे, यह बीजेपी की नीति को ध्यान में रखते हुए यह चर्चा भी गरम है कि हिंदू बांग्लादेशियों को शरण दी जाएगी, जबकि मुस्लिम बांग्लादेशियों को उनके हाल पर छोड़ दिया जाएगा। इन जटिलताओं

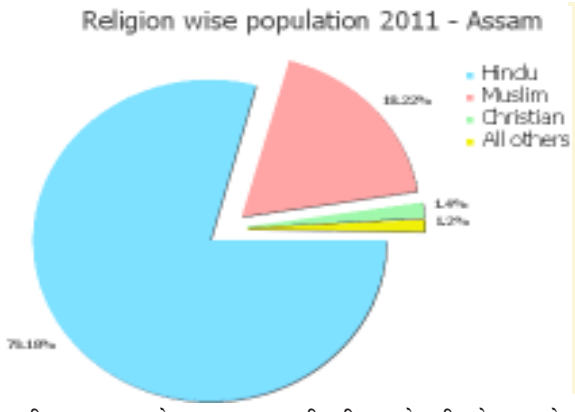

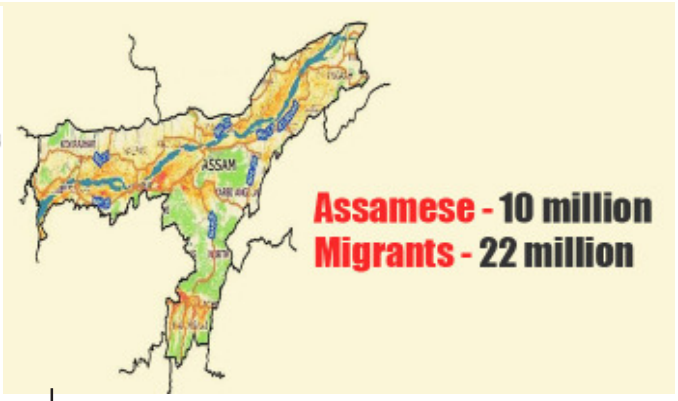

वाली जनगणना के साथ एनआरसी भी बनाने की योजना पूरे देश में लागू की जा सकती है। इस मामले में असम बाकी भारत के लिए एक मिसाल और मॉडल बन सकता है।

का हल समय के साथ निकालना होगा, लेकिन उससे पहले इस उलझन का निपटारा करना होगा कि कौन असम का पुश्तैनी नागरिक है और कौन नहीं।

जी.एस. वर्ल्ड टीम...

नागरिकों के राष्ट्रीय पंजीकरणकर्ता (एनआरसी) क्या है?

नागरिकों का राष्ट्रीय रजिस्टर (एनआरसी) एक रजिस्टर है, जिसमें सभी भारतीय नागरिकों का विवरण है। 1951 की जनगणना आयोजित करने के बाद, नागरिकों के राष्ट्रीय रजिस्टर (एनआरसी) को 1951 की जनगणना के दौरान वर्णित सभी व्यक्तियों के विवरण दर्ज करके तैयार किया गया था।

एनआरसी, 1951 क्या है?

1951 की जनगणना के संचालन के बाद, प्रत्येक गांव के संबंध में नागरिकों का एक राष्ट्रीय रजिस्टर तैयार किया गया था, जिसमें घरों या होल्डिंग को सीरियल क्रम में दिखाया गया था और प्रत्येक घर के संबंध में एक संकेत मिलता था और उसमें रहने वाले लोगों के नंबर और नाम रखे थे, और प्रत्येक व्यक्ति के संबंध में, पिता का नाम/माता का नाम या पति का नाम, राष्ट्रीयता, लिंग, आयु, वैवाहिक स्थिति, शैक्षिक योग्यता, आजीविका या व्यवसाय और दृश्यमान पहचान चिह्न के साधन आदि का उल्लेख मिलता है। यह 1951 में किए गए जनगणना के दौरान दर्ज किए गए विवरणों की नकल करके रजिस्टरों में दर्ज किया गया था। यह एनआरसी गृह मंत्रालय (एमएचए) के निर्देश के तहत तैयार किया गया था।

1951 की जनगणना के दौरान की गई गणना को प्रत्येक रजिस्टरों में प्रत्येक व्यक्ति को शामिल किया गया था और 1951 में भारत सरकार द्वारा जारी किए गए निर्देशों के अनुसार उन्हें उप आयुक्त और उप-विभागीय अधिकारियों के कार्यालयों में रखा गया था। बाद में इन रजिस्टरों को 1960 के आरम्भ में पुलिस को स्थानांतरित कर दिया गया था।

एनआरसी अद्यतन क्या है?

एनआरसी अद्यतन करने की प्रक्रिया का मतलब है – नागरिकों के राष्ट्रीय रजिस्टर (एनआरसी) में मूल रूप से असम में रहने वाले सभी नागरिकों के नामों को सम्मिलित करना।

एनआरसी कैसे अपडेट होगा?

एनआरसी को नागरिकता अधिनियम, 1955 और नागरिकता (नागरिकों का पंजीकरण और राष्ट्रीय पहचान पत्र जारी करना) नियम, 2003 के प्रावधानों के अनुसार अद्यतन किया जाएगा। इस प्रकार, नवीनीकृत एनआरसी में शामिल होने की पात्रता एनआरसी 1951, 24 मार्च, 1971 की आधी रात तक चुनावी रोल और उनकी अनुपस्थिति में 24 मार्च, 1971 की आधी रात तक जारी स्वीकार्य दस्तावेजों की सूची के आधार पर निर्धारित की जाएगी।

राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर

राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर (एनपीआर) एक व्यापक पहचान डेटाबेस है, जिसका रख-रखाव भारतीय महापंजीयक और जनगणना आयुक्त, गृह मंत्रालय करता है। नागरिकता अधिनियम, 1955 जिसे 2004, में संशोधित किया गया, की धारा 14, के अनुसार देश के प्रत्येक नागरिक के लिए भारतीय नागरिक राष्ट्रीय रजिस्टर (एनआरआईसी) में पंजीकरण कराना अनिवार्य है। राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर (एनपीआर) का सृजन एनआरआईसी की तैयारी के लिए पहला कदम है। निवासियों के सार्वभौमिक डेटा सैट में से नागरिकों की नागरिकता स्थिति के उचित सत्यापन के बाद नागरिकों का उप सैट तैयार किया जाएगा। अतः यह सभी सामान्य निवासियों के लिए अनिवार्य है कि वे एनपीआर के तहत नाम दर्ज कराएं।

सिविल सेवा में विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्न

1. सरकार की दो समांतर चलाई जा रही योजनाओं, यथा 'आधार कार्ड' और 'राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर' (एनपीआर), एक स्वैच्छिक और दूसरी अनिवार्य, ने राष्ट्रीय स्तरों पर वाद-विवादों और मुकदमों को जन्म दिया है। गुणों-अवगुणों के आधार पर चर्चा कीजिए कि क्या दोनों योजनाओं को साथ-साथ चलाना आवश्यक है या नहीं है। इन योजनाओं की विकासात्मक लाभों और न्यायोचित संवृद्धि को प्राप्त करने की संभाव्यता का विश्लेषण कीजिए। *(IAS 2014)*

संभावित प्रश्न

1. 'असम में 'नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटिजन्स' में हो रही अद्यतन की प्रक्रिया ने एक विवाद को जन्म दे दिया है, यह विवाद घरेलू स्तर पर तो है ही साथ ही इससे बांग्लादेश के साथ मतभेद होने की संभावना भी है।' इस कथन का विश्लेषण करें।

'आधार' का खोता आधार

यह आलेख सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र-II & III (शासन व्यवस्था, अर्थव्यवस्था एवं आंतरिक सुरक्षा) से संबंधित है।

आधार डाटा की सुरक्षा को लेकर चल रहे विवाद तथा उसके समाधान हेतु लायी गयी वर्चुअल आईडी के संबंध में हिन्दी समाचार पत्रों नई दुनिया, दैनिक ट्रिब्यून एवं जनसत्ता में प्रकाशित लेखों का सार दिया जा रहा है, जिसे जीएस वर्ल्ड टीम द्वारा इस मुद्दे से जुड़ी अन्य सहायक जानकारियों को उपलब्ध कराकर एक समग्रता प्रदान की जा रही है।

'नई दुनिया' का सार

- यूआईडीएआई लोगों की चिंताओं को लेकर संवेदनशील है। साथ ही डाटा हिफाजत के दोहरे इंतजाम करने में वो सक्षम है। इस पृष्ठभूमि को ध्यान में रखें, तो आधार कार्ड योजना को लेकर बार-बार उठाए जाने वाले सवालों की प्रासंगिकता संदिग्ध नजर आती है।
- इसी बात पर यूआईडीएआई के पूर्व अध्यक्ष नंदन नीलेकणि ने भी जोर दिया है। कहा है कि आधार को बदनाम करने की सुनियोजित मुहिम चलाई जा रही है। स्मरणीय है कि ऐसा अभियान तभी शुरू हो गया था, जब पूर्ववर्ती यूपीए सरकार ने आधार कार्ड की योजना बनाई। बुद्धिजीवियों का एक हिस्सा तब से कह रहा है कि इससे लोगों की निजता का उल्लंघन होगा और आमजन की निजी सूचनाएं लीक होंगी, जिसका लाभ कॉर्पोरेट सेक्टर उठाएगा, लेकिन ऐसा कैसे होगा, इस बारे में कोई प्रामाणिक तथ्य सामने नहीं है।
- बहरहाल, बेहतर यह होगा कि ऐसे लोग सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय का इंतजार करें। कोर्ट की संविधान पीठ आधार को लेकर उठी तमाम आपत्तियों पर गौर कर रही है। इसी महीने वो इसकी सुनवाई शुरू करने वाली है। इस बीच अपुष्ट रिपोर्टों के जरिए आधार को लेकर संदेह का माहौल बनाना कतई वांछित नहीं है।
- यह ध्यान में रखना चाहिए कि ये अपने ढंग की अनोखी योजना है। इससे तमाम भारतीयों को विशिष्ट पहचान-पत्र मिल रहा है। इसके जरिए सरकारी योजनाओं का वे बेहतर ढंग से लाभ उठा सकते हैं। साथ ही कल्याणकारी योजनाओं को लागू करने के क्रम में दशकों से जारी भ्रष्टाचार नियंत्रित हो रहा है।
- हकीकत यह है कि इस योजना ने सारी दुनिया का ध्यान खींचा है। इतनी बड़ी परियोजना में कुछ दिक्कतें आना या खामियां उभरना अस्वाभाविक नहीं है। ऐसी बातों को जरूरत से ज्यादा बढ़ा-चढ़ाकर पेश नहीं किया जाना चाहिए।
- अपेक्षित यही है कि सभी इस बारे में रचनात्मक रुख अपनाएं। बाकी चिंताओं के लिए सबको सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय की प्रतीक्षा करनी चाहिए, जिसके सामने आधार से संबंधित सभी पहलू व पक्ष रखे जाएंगे।

दैनिक ट्रिब्यून' का सार

- आधार को वर्चुअल आईडी से लिंक करने वाली नयी दो-स्तरीय प्रणाली आधार सुरक्षा तंत्र का सबसे स्वागतयोग्य विकल्प है। यह विकल्प सरकार की ओर से हर नागरिक सेवा को आधार योजना से जोड़ने की लगभग जबरिया कोशिशों के बाद अब जाकर हासिल हुआ है।
- सरकार ने व्यक्तिगत डाटा में सेंध लगने के बाबत 'द ट्रिब्यून' में रिपोर्ट प्रकाशन की प्रतिक्रिया स्वरूप संबंधित रिपोर्टर और अखबार को डरा-धमकाकर जबरिया गिरफ्त में लेने की कोशिश में विफल रहने के उपरांत पहला हाईवोल्टेज डिजिटल अभ्यास यही किया।
- हालांकि, नागरिकों को सत्यापन उद्देश्यों के लिए अपनी यूनीक आईडी साझा नहीं करने का विकल्प नाकाफी भी है और बहुत देर से लिया गया कदम है। करोड़ों लोग पहले ही अपने व्यक्तिगत विवरण अनगिनत सेवा प्रदाताओं के साथ साझा कर चुके हैं।
- सरकार अभी तक यह नहीं जानती कि विविध डाटाबेस आधार से लिंक होने की स्थिति में डाटा बैंक में सेंध लगाने की गुंजाइश को कैसे खत्म किया जाए।इसलिए, वर्चुअल आईडी समस्या का रामबाण हल नहीं हो सकेगा और न ही उन लोगों के लिए इसकी उपयोगिता साबित हो पाएगी जो बमुश्किल साक्षरता की सीमा में शुमार हो पाए हैं।
- वे सभी अब नए बिचौलियों के फोकस का केंद्र बनने के लिहाज से निशाना हो सकते हैं। उनके लिए वर्चुअल आईडी एक अजूबा और बेसिरपैर की कवायद साबित हो सकती है। डिजिटल सिस्टम की सुरक्षा और अभेद्यता कभी भी पूर्णत: भरोसेमंद नहीं हो सकती। तकनीकी मोर्चे पर सरकार की कमजोर नस को छुपाने के लिए इसे आधिकारिक दृष्टिकोण से जोड़ दिया गया है, जिसके चलते उस संदेह को और बल मिलता है; जो उसी समय से लोगों के दिमाग में घर किये हुए है, जब से सरकार ने इस बाबत कानून को राज्यसभा को बाईपास करने के लिए एक मनी बिल में परिवर्तित किया।
- सूचना सुरक्षा कानून अभी प्रारंभिक अवस्था में है और हमारे नियम कानूनों के गुणसूत्रों में डाटा के बाबत उपभोगवादी नजरिये वाली कंपनियों के लालच का मुकाबला करने लायक दृढ़ता का नितांत अभाव नजर आता है।
- एक राष्ट्र के रूप में, हम अभी भी राष्ट्रीय सुरक्षा के बाबत अनिवार्यता और गोपनीयता के अधिकार के बीच सही संतुलन के बीच त्रिशंकु की स्थिति में हैं। गहरे घावों पर बैंड-एड लगाने जैसे फौरी समाधान आधार के डाटा बैंक को एकल स्रोत संदर्भ बिंदु के रूप में स्थापित करने के इरादों को तकनीकी और नैतिक आधार प्रदान करने में सफल नहीं हो सकते।

'जनसत्ता' का सार

- पिछले काफी समय से आधार यानी विशिष्ट पहचान संख्या से जुड़े ब्योरे के असुरक्षित होने को लेकर बराबर सवाल उठते रहे हैं। आधार की अनिवार्यता और सुरक्षा के मसले पर दायर मुकदमों की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में चल रही है, लेकिन इस बीच कई ऐसी खबरें आई हैं, जिनसे लगता है कि आधार और उसमें निहित जानकारियां अभेद्य नहीं हैं।
- हाल ही में एक खुलासे वाली खबर आई कि कोई व्यक्ति महज पांच सौ रुपए खर्च करके करोड़ों लोगों के आधार नंबर और उनसे जुड़े ब्योरे हासिल कर सकता है। विडंबना यह है कि इस तरह के मामले सामने आने और सवाल उठने पर यूआइडीएआइ यानी भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण को जहां अपनी व्यवस्था की कमियों पर गौर करना चाहिए, वहां उसने इन खामियों की ओर ध्यान दिलाने वालों को ही कठघरे में खड़ा करना ज्यादा जरूरी समझा।
- प्राधिकरण ने भले ही अपने बचाव में ऐसा किया, लेकिन शायद उसे भी अंदाजा है कि आधार कार्ड पूरी तरह सुरक्षित नहीं है। यही वजह है कि अब प्राधिकरण ने आधार की सुरक्षा के लिए एक वर्चुअल नंबर मुहैया कराने की घोषणा की है, ताकि इससे जुड़े आंकड़ों को ज्यादा से ज्यादा सुरक्षित बनाया जा सके।
- एक मार्च से शुरू होने वाली नई व्यवस्था में कोई भी व्यक्ति अपने आधार नंबर के मुताबिक सोलह अंकों की अस्थायी वर्चुअल पहचान संख्या ले सकेगा। यों यह स्वैच्छिक विकल्प है और अगर व्यक्ति चाहे तो मोबाइल के सिम कार्ड या फिर दूसरी एजेंसियों को पहचान के रूप में उसी वर्चुअल संख्या को दे सकता है।
- इस नंबर की सुविधा यह है कि इसकी उपयोगिता एक निश्चित अवधि के लिए ही होगी, इसके जरिए संबंधित व्यक्ति के बारे में सीमित जानकारियां ही हासिल की जा सकेंगी और इसका दोबारा उपयोग नहीं किया जा सकेगा।जरूरत पड़ने पर फिर से नया वर्चुअल नंबर निकाला जा सकेगा।
- जाहिर है, पिछले काफी समय से आधार से जुड़ी असुरक्षा और इसके जरिए होने वाली गड़बड़ियों को लेकर उठने वाले सवालों से निपटने के लिए प्राधिकरण ने एक नया रास्ता निकाला है। लेकिन देखना यह होगा कि वर्चुअल आइडी की व्यवस्था सामने आने के बाद आधार के सुरक्षित होने को लेकर लोग आश्वस्त हो पाते हैं या नहीं।
- ऐसी आशंका की वजह यह है कि एक ओर सरकार बाकी पहचान पत्रों के मुकाबले आधार नंबर को अनिवार्य बनाते हुए इसके सबसे सुविधाजनक और सुरक्षित होने का दावा करती रही है, और दूसरी ओर, बड़ी तादाद में लोगों के आधार नंबर और उससे जुड़े ब्योरे लीक होने की खबरें जब-तब आती रहीं। आधार से जुड़े मामलों में निजता के अधिकार का सवाल भी शामिल था। इस मसले पर सुप्रीम कोर्ट ने निजता के अधिकार के पक्ष में अपना फैसला दिया।
- इसके अलावा, घोषित तौर पर यह कहा जाता है कि राशन लेने या दूसरी सुविधाओं के लिए आधार अनिवार्य नहीं है। लेकिन सच यह है कि व्यवहार में अमूमन सभी कल्याणकारी योजनाओं में आधार के बिना लोगों का कोई काम हो पाना लगभग असंभव हो चुका है।
- हाल के दिनों में ऐसे अनेक मामले सामने आए हैं जिनमें किसी व्यक्ति की अंगुलियों के निशान का मिलान नहीं हो पाया या मशीन खराब होने की वजह से उसे राशन देने से इनकार कर दिया गया। दरअसल, निजता और सुरक्षा के साथ-साथ पहचान पत्र के रूप में आधार नंबर की व्यवस्था से जुड़ी कई शंकाओं का संतोषजनक समाधान निकलना बाकी है।

जी.एस. वर्ल्ड टीम...

भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण क्या है?

भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण सन 2009 में गठित भारत सरकार का एक प्राधिकरण है जिसका गठन भारत के प्रत्येक नागरिक को एक बहुउद्देश्यीय राष्ट्रीय पहचान पत्र उपलब्ध करवाने की भारत सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना के अन्तर्गत किया गया। भारत के प्रत्येक निवासियों को प्रारंभिक चरण में पहचान प्रदान करने एवं प्राथमिक तौर पर प्रभावशाली जनहित सेवाऐं उपलब्ध कराना इस परियोजना का प्रमुख उद्देश्य था।

आधार क्या है?

आधार 12 अंकों की एक विशिष्ट संख्या है जिसे भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (भा.वि.प.प्रा.) सभी निवासियों के लिये जारी करता है। यह संख्या, भारत में कहीं भी, व्यक्ति की पहचान और पते का प्रमाण होगा। भारतीय डाक द्वारा प्राप्त और यू.आई.डी.ए.आई. की वेबसाइट से डाउनलोड किया गया ई-आधार दोनों ही समान रूप से मान्य हैं। कोई भी व्यक्ति आधार के लिए नामांकन करवा सकता है बशर्ते वह भारत का निवासी हो और यू.आई.डी.ए.आई. द्वारा निर्धारित सत्यापन प्रक्रिया को पूरा करता हो, चाहे उसकी उम्र और लिंग कुछ भी हो। प्रत्येक व्यक्ति केवल एक बार नामांकन करवा सकता है। नामांकन निशुल्क है।

आधार कौन बनवा सकता है ?

- देश का कोई भी नागरिक इसे तय डॉक्युमेंट्स पेश करके बनवा सकता है।
- नवजात शिशु का भी आधार कार्ड बन सकता है।

- नवजात के मामले में बायोमेट्रिक्स की जरूरत 5 साल की उम्र के बाद पड़ती है।
- आधार के लिए साल भर में कभी भी आवेदन किया जा सकता है।

आधार पर आरंभिक समय में विभिन्न मत

- इंटेलिजेंस ब्यूरो (आईबी) के पूर्व प्रमुख अजीत डोवाल ने अगस्त 2009 की साक्षात्कार में कहा था कि आधार मूल रूप से अवैध आप्रवासियों को फंसाने का इरादा था, लेकिन बाद में गोपनीयता संबंधी चिंताओं से बचने के लिए सामाजिक सुरक्षा लाभ शामिल किया गया था।
- दिसंबर 2011 में, यशवंत सिन्हा की अगुवाई में वित्त पर संसदीय स्थायी समिति ने राष्ट्रीय पहचान प्राधिकरण विधेयक, 2010 को खारिज कर दिया और संशोधनों का सुझाव दिया। उसने अवैध आप्रवासियों को आधार संख्या जारी करने पर आपत्तियां व्यक्त कीं। समिति ने कहा कि यह परियोजना एक अनियोजित तरीके से और संसद को पारित करके कार्यान्वित की जा रही है।

आधार लीक के अन्य पूर्ववर्ती मामले

- झारखंड से 22 अप्रैल को खबर आई थी कि राज्य सरकार की लापरवाही से प्रदेश के 14 लाख से अधिक लोगों का आधार डाटा सार्वजनिक हो गया। मामले का खुलासा हुआ तो सरकार ने वेबसाइट से आधार नंबर इनक्रिप्ट (कूटभाषा में) कर दिया,लेकिन अब पता चला है कि देश के अलग-अलग सरकारी विभागों ने करीब साढ़े 13 करोड़ लोगों के आधार कार्ड का डाटा लीक कर दिया है।
- यह जानकारी बेंगलुरु की सेंटर फॉर इंटरनेट एंड सोसायटी द्वारा जारी एक रिपोर्ट से मिली है।रिपोर्ट के मुताबिक करोड़ों लोगों के आधार कार्ड की सूचनाएं कोई भी देख सकता है।
- इनमें से पहले दो डाटा बेस केंद्र सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय से जुड़े हुए हैं, जिसमें नेशनल सोशल असिस्टेंट प्रोग्राम का डैशबोर्ड और नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट (मनरेगा) का पोर्टल शामिल है।
- इसके अलावा दो डाटा बेस आंध्र प्रदेश से जुड़े हैं, जिनमें इस राज्य का मनरेगा पोर्टल और चंद्राना बीमा नामक सरकारी स्कीम की वेबसाइट है। कुल चार वेब पोर्टल से लीक हुए आधार नंबर 13 से 13.5 करोड़ के बीच हो सकते हैं।
- इसी तरह नेशनल सोशल असिस्टेंट प्रोग्राम के पोर्टल पर आधार कार्ड से जुड़े हुए 94.32 लाख से ज्यादा बैंक खातों और 14.98 लाख से ज्यादा डाकघर खातों की जानकारी है।
- महेंद्र सिंह धोनी के आधार लीक मामले को ले के भी विवाद हुआ था जिसपर सूचना-प्रसारण मंत्री रविशंकर प्रसाद ने आश्वस्त किया था कि वे सुनिश्चित करेंगे कि आधार से जुड़ी सूचनाएं लीक न हों।

आधार के फायदे

- वर्ल्ड बैंक के मुख्य अर्थशास्त्री पॉल रोमर ने कहा है कि आधार सफल व्यवस्था है तथा विश्व के सभी देशों को इसे अपनाना चाहिए। वर्ल्ड बैंक की डिजिटल डिविडेंड 2016 की रिपोर्ट में अनुमान लगाया गया है कि आधार के सही प्रबंधन से भारत में 70,000 करोड़ तक का लीकेज रोकने की क्षमता है। वित्तीय वर्ष 2016 में सीधे खाते में लाभ पहुंचाने की योजना से 27,000 करोड़ की बचत हुई है।
- इसके अलावा आधार ने समाज के पिछड़े एवं वंचित वर्ग को सस्ती और बहुत आसानी से बनने वाली पहचान दी है, जिसके माध्यम से वे न सिर्फ बैंकों जुड़े रहे हैं बल्कि सरकारी नीतियों का सीधा लाभ ले रहे हैं।
- हमारे देश में आधार के अलावा राष्ट्रीय पहचान सिर्फ पैन या पासपोर्ट थे। सिर्फ 10 प्रतिशत के आसपास लोग पासपोर्ट और मात्र 15 फीसदी के करीब लोग पैन से जुड़े थे, जबकि आधार 100 करोड़ से ज्यादा भारतीयों को पहचान प्रदान कर रहा है।
- डिजिटल इंडिया को सफल बनाने का आधार यही कार्ड है, जिसके माध्यम से समाज का हर वर्ग भारत की डिजिटल क्रांति से जुड़ सकेगा।

सिविल सेवा में विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्न

1. सरकार की दो समांतर चलाई जा रही योजनाओं, यथा 'आधार कार्ड' और 'राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर' (एनपीआर), एक स्वैच्छिक और दूसरी अनिवार्य, ने राष्ट्रीय स्तरों पर वाद-विवादों और मुकदमों को जन्म दिया है। गुणों-अवगुणों के आधार पर चर्चा कीजिए कि क्या दोनों योजनाओं को साथ-साथ चलाना आवश्यक है या नहीं है। इन योजनाओं की विकासात्मक लाभों और न्यायोचित संवृद्धि को प्राप्त करने की संभाव्यता का विश्लेषण कीजिए। *(IAS 2014)*

संभावित प्रश्न

1. आधार को लेकर विवाद लगातार बना हुआ है, जिसका प्रमुख कारण इससे जुड़ी व्यक्तियों की निजी जानकारियों का सार्वजनिक मंच पर लीक होना है। ऐसे में क्या आधार को सभी प्रमुख योजनाओं में अनिवार्य बनाना उचित होगा? इस समस्या के समाधान हेतु किए गए प्रयास के रूप में वर्चुअल आईडी का मूल्यांकन करें।

न्यायपालिका में गतिरोध

यह आलेख सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र-II (भारतीय राजव्यवस्था) से संबंधित है।

सर्वोच्च न्यायपालिका के 4 न्यायाधीशों के द्वारा मुख्य न्यायाधीश पर लगाए गए आरोपों को लेकर तथा उसके पक्ष-विपक्ष पर हिन्दी समाचार पत्रों जनसत्ता एवं नई दुनिया में प्रकाशित लेखों का सार दिया जा रहा है, जिसे जीएस वर्ल्ड टीम द्वारा इस मुद्दे से जुड़ी अन्य सहायक जानकारियों को उपलब्ध कराकर एक समग्रता प्रदान की जा रही है।

'जनसत्ता' का सार

- जनतंत्र के इतिहास में पहली बार हुआ है कि सर्वोच्च न्यायालय के चार वरिष्ठ न्यायाधीशों ने प्रेस वार्ता बुला कर अपना असंतोष प्रकट किया। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश आमतौर पर मीडिया के सामने या सार्वजनिक मंचों से इस तरह के बयान नहीं देते।
- उन्होंने सीधे मुख्य न्यायाधीश के आचरण पर अंगुली उठाते हुए कहा कि उनके सुझाव नहीं माने गए, इसलिए उन्हें मजबूरन मीडिया के सामने आना पड़ा। इस प्रेस वार्ता में सर्वोच्च न्यायालय के दूसरे नंबर के न्यायाधीश जे. चेलमेश्वर ने कहा कि हम चारों इस बात पर सहमत हैं कि इस संस्थान को बचाया नहीं गया तो इस देश में लोकतंत्र जिंदा नहीं रह पाएगा।
- स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायपालिका अच्छे लोकतंत्र की निशानी है। इस वाकये से स्वाभाविक ही हड़कंप मच गया है। इससे पहले कोलकाता उच्च न्यायालय के वरिष्ठ न्यायाधीश सीएस कर्णन ने बंद लिफाफे में न्यायपालिका में भ्रष्टाचार का मामला उठाते हुए बीस जजों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी।

- पहले भी कुछेक मौकों पर न्यायपालिका के कामकाज को लेकर अंगुलियां उठी हैं, पर सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठ न्यायाधीशों ने इस तरह एकजुट होकर मुख्य न्यायाधीश के आचरण पर सवाल कभी नहीं उठाया। यह निस्संदेह चिंता का विषय है।
- पर सवाल है कि क्या सचमुच स्थिति इतनी विकट हो गई थी कि नाराज न्यायाधीशों के लिए आपस में मिल-बैठ कर कोई व्यावहारिक रास्ता निकालना संभव नहीं रह गया था! फिर, इस तरह मीडिया के सामने अपना आक्रोश और नाराजगी जाहिर करने से आखिर हासिल क्या होगा! इससे लोकतंत्र के तीसरे बड़े स्तंभ की साख पर सवालिया निशान बेशक लग गया है। कहीं इसे नजीर मानते हुए निचली अदालतों के न्यायाधीश भी अपनी नाराजगी प्रकट करने का यही रास्ता तो अख्तियार नहीं करेंगे!

'नई दुनिया' का सार

- भारत में न्यायपालिका और खासकर सर्वोच्च न्यायालय एक ऐसी संस्था है, जिस पर समाज का बहुत अधिक भरोसा है। जब कोई हर संस्था से न्याय की उम्मीद छोड़ चुका होता है, तो वह सर्वोच्च न्यायालय की ओर निहारता है, लेकिन शुक्रवार को इस न्यायालय के चार वरिष्ठ न्यायाधीशों द्वारा आनन-फानन एक संवाददाता सम्मेलन बुलाया जाता है और एक संयुक्त पत्र जारी कर देश की सबसे बड़ी अदालत के प्रधान न्यायाधीश पर न्यायसम्मत तरीके से कार्य न करने का आरोप लगाया जाता है।
- उनकी ओर से यह भी कहा जाता है कि अगर हम आज सुप्रीम कोर्ट की मौजूदा स्थिति के खिलाफ न खड़े होते तो अब से 20 साल बाद समाज के कुछ बुद्धिमान व्यक्ति यह कहते कि हमने 'अपनी आत्मा बेच दी थी। इन चारों न्यायाधीशों ने यह भी बयान किया कि वे इस मामले में प्रधान न्यायाधीश के पास गए थे, लेकिन उन्हें वहां से खाली हाथ लौटना पड़ा।
- इस प्रेस कांफ्रेंस को संपन्न् हुए पांच मिनट भी नहीं हुए थे कि कई वरिष्ठ वकीलों ने पक्ष-विपक्ष में अपने-अपने तर्क देने शुरू कर दिए। अगर वकील प्रशांत भूषण ने मीडिया में आकर प्रधान न्यायाधीश के कथित चहेते जजों का नाम और वे मामले जो उन्हें सौंपे गए, बताना शुरू कर दिया तो पूर्व न्यायाधीश जस्टिस आरएस सोढ़ी ने इन चार वकीलों के कदम को सर्वोच्च न्यायालय की गरिमा गिराने वाला, हास्यास्पद और बचकाना करार दिया। वकील केटीएस तुलसी और इंदिरा जयसिंह ने चार जजों का पक्ष लिया तो पूर्व एटॉर्नी जनरल एवं वरिष्ठ वकील सोली सोराबजी ने चार जजों की ओर से प्रेस कांफ्रेंस करने पर घोर निराशा जताई। इंदिरा जयसिंह तो चार जजों की प्रेस कांफ्रेंस में भी नजर आई थीं।
- चार जजों की प्रेस कांफ्रेंस के औचित्य-अनौचित्य को लेकर तरह-तरह के तर्कों के बाद आम जनता के लिए यह समझना कठिन है कि यह सब क्यों हुआ और इसके क्या परिणाम होंगे? उसके मन में यह सवाल भी कहीं जोर से कौंधेगा कि सुप्रीम कोर्ट में सब कुछ ठीक है या नहीं?
- इन सवालों का चाहे जो जवाब हो, पहली नजर में यही अधिक लगता है कि एक विश्वसनीय संस्था व्यक्तिगत अहंकार या वर्चस्व की जंग का शिकार हो गई। जब प्रेस कांफ्रेंस में चार न्यायाधीशों से पूछा गया कि क्या वे प्रधान न्यायाधीश के खिलाफ महाभियोग लाने के पक्षधर हैं तो उनका जवाब था कि यह देश को तय करना है। क्या इसका यह मतलब निकाला जाए कि सुप्रीम कोर्ट के ये चार जज प्रधान न्यायाधीश

- अनेक संस्थानों में वरिष्ठ और कनिष्ठ कर्मियों के बीच मतभेद देखे जाते हैं। पर न्यायपालिका चूंकि लोकतंत्र का सबसे मजबूत स्तंभ है, अन्याय के विरुद्ध फैसले सुनाने की जिम्मेदारी उस पर है, लोकशाही को सशक्त बनाने के मकसद से उसे विधायिका और कार्यपालिका के आचरण पर अंगुली उठाने का अधिकार है, इसलिए वहां इस तरह मतभेदों का सतह पर आना उसकी गरिमा के अनुकूल नहीं माना गया है। इसलिए न्यायाधीशों, खासकर सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों से अपेक्षा की जाती है कि वे बिना किसी दलगत या वैचारिक दबाव में आए, आपसी तालमेल से न्याय व्यवस्था को सुचारु बनाने का प्रयास करें। अहं के टकराव या फिर सुर्खियों में बने रहने के मकसद से फैसले सुनाने, बयान देने जैसे कदम से बचें। इस तकाजे का निर्वाह न हो पाने की वजह से ताजा प्रकरण अधिक गंभीर विषय बन गया है।
- इस प्रकरण के बाद न सिर्फ देश, बल्कि दुनिया में बहुत गलत संदेश गया है। विपक्षी दलों ने इसे राजनीतिक रंग भी देना शुरू कर दिया है। यह भी ठीक नहीं है। न्यायपालिका को अपनी स्वायत्तता का सम्मान करते हुए, पारस्परिक तालमेल से अपने मतभेदों और अंदरूनी अव्यवस्थाओं को सुलझाने का प्रयास करना चाहिए। यह भी उचित नहीं होगा कि इस प्रकरण की जांच किसी बाहरी एजेंसी से कराने का प्रयास हो। इससे और कालिख उभरेगी।
- ऐसे में मुख्य न्यायाधीश से अपेक्षा स्वाभाविक है कि वे सर्वोच्च अदालत की गरिमा का ध्यान रखते हुए अपने विवेक से इस मामले को अधिक तूल न पकड़ने दें।

के खिलाफ महाभियोग के पक्ष में है? ध्यान रहे कि सर्वोच्च न्यायालय ही नहीं, हाईकोर्ट के जज भी भारत के संविधान द्वारा अभिरक्षित हैं और उन्हें मात्र महाभियोग के जरिए ही हटाया जा सकता है। यह एक जटिल प्रक्रिया है।

- भारत में सुप्रीम कोर्ट के पांच न्यायाधीशों की पीठ संविधान पीठ का दर्जा पा जाती है और उसके फैसलों में कानून की ताकत होती है। हमने अभी तक कभी-कभार कमजोर आवाज में केंद्रीय बार कौंसिल और राज्य बार एसोसिएशनों द्वारा जजों के खिलाफ व्यक्तिगत मामलों में आरोप लगते हुए देखा-सुना था,लेकिन पिछले 70 साल में एक बार भी ऐसा देखने में नहीं आया कि सर्वोच्च न्यायालय के चार वरिष्ठ जज प्रधान न्यायाधीश के खिलाफ प्रेस कांफ्रेंस करें और वह भी केसों के आवंटन में कथित पक्षपात को लेकर।
- इन चार जजों का कहना है कि कौन-सा केस किस बेंच के पास जाएगा, यह तो प्रधान न्यायाधीश के अधिकार क्षेत्र में होता है, लेकिन यह प्रक्रिया भी कुछ स्थापित परंपराओं के अनुरूप चलाई जाती है। जैसे सामान प्रकृति के मामले सामान बेंच को जाते हैं और यह निर्धारण मामलों की प्रकृति के आधार पर होता है, न कि केस के आधार पर।
- अगर इन चार जजों को प्रधान न्यायाधीश की कार्यप्रणाली से एतराज था तो वे सभी जजों की सुबह होने वाली बैठक में इस मुद्दे को उठाते और एक आम सहमति बनाने का प्रयास करते। अगर यह तरीका कारगर नहीं हुआ, जैसा कि संकेत किया गया तो फिर ये जज प्रधान न्यायाधीश की केस आवंटन प्रक्रिया के खिलाफ स्वयं संज्ञान लेते हुए फैसला दे सकते थे। ऐसा कोई फैसला स्वत: सार्वजनिक होता और कम से कम उससे यह ध्वनि तो नहीं निकलती कि सार्वजानिक तौर पर कुछ वरिष्ठ जज प्रधान न्यायाधीश के खिलाफ सड़क पर आ गए हैं।
- चार जजों की प्रेस कांफ्रेंस के बाद तो उच्च न्यायालयों के स्तर पर भी ऐसा ही हो सकता है और वहां भी कुछ जज मुख्य न्यायाधीश की कथित गड़बड़ीपूर्ण कार्यप्रणाली के खिलाफ प्रेस कांफ्रेंस कर सकते हैं। क्या अब उन्हें इस तरह से प्रेस कांफ्रेंस करने से रोका जा सकता है? अगर यह मान भी लिया जाए कि केसों के आवंटन का काम सही तरह से नहीं हो रहा था तो क्या उसके खिलाफ इस तरह खुलेआम आवाज उठाना न्यायापालिका की गरिमा के अनुकूल है?
- आधुनिक न्यायशास्त्र का मूल सिद्धांत कहता है कि आप चाहे जितने भी बड़े क्यों न हों, लेकिन कानून आपसे बड़ा होता है। कानून के अनुसार ऐसा कोई बयान जो अदलत की गरिमा को गिराता है, अदालत की अवमानना है। अगर कोई अदालत की अवमानना संबंधी कानून को गौर से पढ़े तो वह यही पाएगा कि इन चार जजों के बयान अवमानना की श्रेणी में आते है। यही बात उन वकीलों के बारे में कही जा सकती है, जो चार जजों की इस प्रेस कांफ्रेंस के तुरंत बाद उनके समर्थन में सक्रिय हो गए।
- जिस तरह चंद वकील इस मामले में जरूरत से ज्यादा दिलचस्पी दिखा रहे हैं, उससे भी कई सवाल खड़े होते है। अगर किसी रिपोर्टर ने अपनी खबर में ऐसा कुछ लिखा होता कि सर्वोच्च न्यायालय में जजों को केसों का आवंटन भेदभाव के तहत किया जा रहा है, तो इसे अवमानना मानकर उसे तलब कर लिया जाता, लेकिन इस मामले में बार ही नहीं, बेंच में भी विभाजन दिख रहा है और उनके बीच के मतभेद एक-दूसरे पर आरोप के जरिए सामने आ रहे हैं। यह आदर्श स्थिति तो नहीं और इसीलिए यह कहा जा सकता है कि जो कुछ हुआ उससे सर्वोच्च न्यायालय की गरिमा प्रभावित हुई है।
- सर्वोच्च न्यायालय ही नहीं, उच्च न्यायालय के पास भी दो तरह के कार्य होते हैं। पहला, न्याय का निष्पादन करना और दूसरा, न्याय प्रशासन देखना। यह दूसरा काम आम तौर पर मुख्य न्यायाधीश के हाथ में होता है। जजों के पास केवल फैसले देने का काम होता है। कॉलेजियम की व्यवस्था के तहत पांच सबसे वरिष्ठ जज नए जजों की नियुक्ति प्रक्रिया में भी भाग लेते हैं।
- यह हैरान करता है कि एक दिन पहले कॉलेजियम दो जजों के नाम तय करता है और अगले दिन चार वरिष्ठ जज प्रधान न्यायाधीश के खिलाफ मोर्चा खोल देते है। अगर यह सही है कि प्रधान न्यायाधीश सभी समान लोगों में से केवल पहले नंबर पर होते है, इससे अधिक और कुछ नहीं तो फिर यही बात सुप्रीम कोर्ट की सभी बेंचों पर भी तो लागू होती है।

जी.एस. वर्ल्ड टीम...

इस विवाद की वजह

- न्यायपालिका में शुक्रवार को जो 'भूचाल' आया इसकी नींव दो वर्ष पहले ही पड़ चुकी थी। पिछले कुछ महीनों के दौरान ऐसी घटनाओं में आई तेजी ने आखिरकार धमाके का रूप ले लिया। इसके बाद जो हुआ वह न्यायिक इतिहास में पहले कभी नहीं हुआ। चारो वरिष्ठ जजों में पिछले कई मामलों को लेकर असंतोष तो था लेकिन बीएस लोया मामले ने इनके सब्र का बांध तोड़ दिया।
- सुप्रीम कोर्ट के चीफ मास्टर ऑफ रोस्टर होते हैं। यानी किस मामले को किस पीठ में सुना जाना चाहिए, चीफ जस्टिस प्रशासनिक तौर पर यह निर्णय लेते हैं।
- पिछले कुछ समय में जज रिश्वखोरी मामला, एमओपी मामला, राकेश अस्थाना, ईडी अधिकारी राजेश्वर सिंह सहित कई बड़े मामलों में चीफ जस्टिस द्वारा पीठ के चयन और मामले एक पीठ से उठाकर दूसरी पीठ को भेजने के बाद मतभेद बढ़े थे। इन चारों जजों के पास एक-दो मामलों को छोड़कर कोई हाई-प्रोफाइल मामला नहीं हैं।

कुछ विवादित मामले

- जज रिश्वतखोरी मामले में वरिष्ठ जजों का नजरअंदाज करते हुए मामले को जूनियर जज के पास भेज दिया गया था। वहीं राकेश अस्थाना को सीबीआई का अतिरिक्त निदेशक बनाने को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई न्यायमूर्ति रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली पीठ सेहटाकर दूसरी पीठ के पास भेज दी गई।
- वही पिछले हफ्ते टूजी मामले में चीफ जस्टिस ने प्रवर्तन निदेशालय के अधिकारी राजेश्वर सिंह के मामले को न्यायमूर्ति जे चेलमेश्वर की अध्यक्षता वाली पीठ से अपने पास ले लिया। इसके अलावा एमओपी (मेमोरेंडम ऑफ प्रोसिजर) लाने में हो रही देरी को लेकर दायर याचिका पर भी दो सदस्यीय पीठ ने परीक्षण का निर्णय लिया था, लेकिन चीफ जस्टिस ने याचिका को अपने पास ले लिया था।

संविधान पीठ पर भी असंतोष

- संविधान पीठ में वरिष्ठ जजों को शामिल न किए जाने को लेकर भी असंतोष की बात सामने आ रही है। आमतौर पर ऐसा होता है कि जिस पीठ द्वारा मामले को संविधान पीठ के पास भेजा जाता है तो छोटी पीठ के सदस्यों को उसमें जगह दी जाती है, लेकिन पिछले समय में गठित संविधान पीठ में ऐसा देखने को नहीं मिला और न ही इन चारों वरिष्ठतम जजों को उसका हिस्सा बनाया गया।
- यह जरूर है कि संविधान के अनुच्छेद-124 के तहत सुप्रीम कोर्ट के सभी जज बराबर है और किसी जज के चयन पर संदेह नहीं किया जाना चाहिए,लेकिन पिछले दिनों में गठित संविधान पीठ में कुछ चुनिंदा जजों को ही जगह दी गई। जस्टिस चेलमेश्वर की अध्यक्षता वाली पीठ काफी पहले से आधार से संबंधित कुछ मामलों पर सुनवाई कर रही थी और इसी पीठ ने इस मामले को बड़ी पीठ के पास भेजा था,लेकिन आधार को लेकर गठित पीठ में जस्टिस चेलमेश्वर का नाम ही नहीं है।
- माना जा रहा है कि जस्टिस बीएच लोया की हत्या के मामले की जांच से संबंधित याचिका को कोर्ट नंबर-10 (न्यायमूर्ति अरूण मिश्रा की अध्यक्षता वाली पीठ) को भेजने के चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा के निर्णय ने आग में घी का काम किया। क्योंकि इस तरह अहम राजनीति मामले में 12 वरिष्ठ जजों को नजरअंदाज कर दिया गया।

अधिकतर मामले चीफ जस्टिस के पास

- आमतौर पर नई जनहित याचिकाओं पर इन दिनों या तो चीफ जस्टिस की अध्यक्षता वाली पीठ सुनवाई करती है या कुछ चुनिंदा पीठ। कानून के जानकारों का यह भी कहना है कि आखिरकार अधिकतर मामले चीफ जस्टिस के पास ही क्यों हैं।
- चाहे वह अयोध्या मामला हो या रामसेतु चाहे केरल लव जिहाद मामला हो या बीसीसीआई। सहारा, जेपी, यूनिटेक आदि मामले भी चीफ जस्टिस की अध्यक्षता वाली पीठ के पास ही है।

पहले भी रहे है मामले

- पिछले चीफ जस्टिस जेएस खेहर ने भी बिरला-सहारा मामले में वरिष्ठ जजों को नजरअंदाज कर न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा की अध्यक्षता वाली पीठ के पास भेज दिया था। जस्टिस खेहर ने कालिको पुल की पत्नी के पत्र को याचिका में तब्दील कर कोर्ट नंबर-13 के पास भेज दिया था। उस वक्त भी कोर्ट नंबर-दो से 12 को नजअंदाज कर दिया गया। इससे पहले चीफ जस्टिस टीएस ठाकुर के वक्त भी वकीलों में इस बात को लेकर असंतोष था कि आखिरकार हर नई जनहित याचिकाओं पर चीफ जस्टिस ही क्यों सुनवाई करते हैं।

संभावित प्रश्न

1. हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय के चार वरिष्ठ न्यायाधीशों के द्वारा मुख्य न्यायाधीशों के ऊपर सार्वजनिक मंच पर आकर आरोप लगाने के पीछे उत्तरदायी कारणों की चर्चा करें तथा इस प्रकार की घटनाओं से आगे केसे बचा जा सकता है, इसके लिए संभावित समाधानों को दर्शाएं।

शतकवीर इसरो

यह आलेख सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र-III (विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी) से संबंधित है।

इसरो के द्वारा हाल ही में 31 उपग्रहों को छोड़कर अपने प्रक्षेपित उपग्रहों की संख्या 100 पहुंच गयी है, जिसको लेकर हिन्दी समाचार पत्रों जनसत्ता, नवभारत टाइम्स एवं दैनिक जागरण में प्रकाशित लेखों का सार दिया जा रहा है, जिसे जीएस वर्ल्ड टीम द्वारा इस मुद्दे से जुड़ी अन्य सहायक जानकारियों को उपलब्ध कराकर एक समग्रता प्रदान की जा रही है।

'जनसत्ता' का सार

भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो ने एक बार फिर दक्षता और लगन की मिसाल पेश की है। बीते शुक्रवार को उसने अपना सौवां उपग्रह कार्टोसेट-2 प्रक्षेपित कर एक विशेष मुकाम तो हासिल किया ही, साथ में तीस अन्य उपग्रह भी सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किए। और भी खास बात यह है कि ये सारे उपग्रह दो अलग-अलग कक्षा में स्थापित किए गए। यह इसरो की अपूर्व उपलब्धि है, एक ही यान से अलग-अलग कक्षा में उपग्रह स्थापित करना। कार्टोसेट-2 के साथ छोड़े गए तीस अन्य उपग्रहों में दो भारत के थे और अट्ठाईस उपग्रह अन्य देशों के। एक भारतीय माइक्रो उपग्रह और एक भारतीय नैनो उपग्रह और अट्ठाईस विदेशी उपग्रहों को पीएसएलवी सी-40 प्रक्षेपण यान के जरिए छोड़ा गया। यहां यह गौरतलब है कि पिछले साल अगस्त में पीएसएलवी-39 के जरिए इसरो का पिछला मिशन नाकाम रहा था। दरअसल, हीट शील्ड न खुलने के कारण उस प्रक्षेपण में कठिनाई आई थी। अब जाहिर है कि उस वक्त आई मुश्किल को इसरो के वैज्ञानिकों ने ठीक से समझा और उसे दूर कर लिया। यों इस तरह की नाकामी अंतरिक्ष विज्ञान और तकनीक के क्षेत्र में कोई बहुत असामान्य बात नहीं समझी जाती; अमेरिका समेत विकसित देशों की अंतरिक्ष एजेंसियों को भी ऐसे अनुभव होते रहे हैं। इसरो ने अपने अनुभवों से तो सीखा ही, दूसरों के अनुभवों से भी सबक लिया है, और यही कारण है कि प्रक्षेपण में इसरो की विफलता की दर काफी कम रही है।

दूसरी ओर, इसरो ने सफलता के नए-नए अध्याय जोड़े हैं और आज उसकी गिनती दुनिया की सबसे पारंगत अंतरिक्ष एजेंसियों में होती है। यही नहीं, इसरो ने प्रक्षेपण की अपेक्षया सस्ती तकनीक विकसित कर अपने प्रति दुनिया भर में व्यावसायिक आकर्षण भी पैदा किया है। यही कारण है कि आज विकसित देश भी इसरो की सेवाएं लेने लगे हैं। पीएसएलवी-40 के जरिए प्रक्षेपित किए गए उपग्रहों में अमेरिका, फ्रांस, कनाडा, ब्रिटेन के भी उपग्रह शामिल हैं। इसरो की कारोबारी क्षमता पर इससे पक्की मुहर और क्या होगी! बहरहाल, कार्टोसेट-2 भारत के लिए बहु-उपयोगी है। तटवर्ती क्षेत्रों, राजमार्गों, जल वितरण और जमीन के नक्शे को बेतहर बनाने और शहरी योजनाएं बनाने में यह मददगार साबित होगा। साथ ही, सरहदी इलाकों की निगरानी में भी सहायक सिद्ध होगा। सीमा पर पड़ोसी देशों की सैन्य गतिविधियां बढ़ने का आभास कार्टोसेट-2 से मिलने वाली तस्वीरों से हो सकता है। यानी कार्टोसेट-2 सुरक्षा के लिहाज से भी अहम है। इससे आपदा से निपटने में भी मदद मिलेगी, क्योंकि समुद्रतटीय इलाकों में होने वाले बदलाव पर नजर रखी जा सकेगी।

'नवभारत टाइम्स' का सार

भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) की इस उपलब्धि पर पूरे देश को गर्व है। शुक्रवार को इसरो ने 100 वां उपग्रह लॉन्च किया। उसने पीएसएलवी सी-40 रॉकेट के जरिए एक साथ सफलतापूर्वक 31 सैटलाइट्स लॉन्च किए। 31 सैटलाइट्स में 28 विदेशी और 3 स्वदेशी उपग्रह शामिल हैं। विदेशी सैटलाइट्स में कनाडा, फिनलैंड, फ्रांस, दक्षिण कोरिया, ब्रिटेन और अमेरिका के उपग्रह शामिल हैं। यह इसरो के सबसे लंबे मिशनों में से एक है।

हमारे उपग्रहों में कार्टोसैट 2 सैटलाइट सीरीज एक निगरानी उपग्रह है, जिसकी मदद से रक्षा और कृषि क्षेत्र की तत्काल जानकारी मिलेगी। कार्टोसैट 2 के जरिए तटीय क्षेत्रों और शहरों पर नजर रखी जा सकेगी। 1969 में अपनी स्थापना के बाद इसरो ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। उसने अंतरिक्ष में छलांग लगाना शुरू किया और साल दर साल तमाम देशी और विदेशी सैटलाइट को अंतरिक्ष में पहुंचाकर नई ऊंचाइयां छूता गया। बीच-बीच में उसे असफलताएं भी मिलीं लेकिन उसके वैज्ञानिकों ने नाकामयाबी से भी सबक लिए और आगे बढ़ते गए। उसी का नतीजा है कि आज भारत अंतरिक्ष में एक बड़ी ताकत बन गया है। सैटलाइट्स और अंतरिक्ष यानों में वह अमेरिका, रूस और चीन को टक्कर दे रहा है।

आज तमाम विकसित देश अपने उपग्रहों को इसरो से प्रक्षेपित करवाना फायदेमंद और सुरक्षित मानते हैं। दरअसल, इसरो भारतीय वैज्ञानिकों की अटूट निष्ठा और लगन का एक उदाहरण है। इसरो में कई ऐसे वैज्ञानिक हुए, जिन्होंने अपना पूरा जीवन संगठन को समर्पित कर दिया। जब 15 अगस्त 1969 को डॉ. विक्रम साराभाई ने इसरो की स्थापना की थी, तब इसके पास मामूली साधन और सहूलियतें भी नहीं थीं। वैज्ञानिक पहले रॉकेट को साइकिल पर लादकर प्रक्षेपण स्थल तक ले गए थे। इस मिशन का दूसरा रॉकेट काफी बड़ा और भारी था, जिसे बैलगाड़ी के सहारे प्रक्षेपण स्थल पर ले जाया गया था। पहले रॉकेट के लिए नारियल के पेड़ों को लांचिंग पैड बनाया गया था। वैज्ञानिकों के पास अपना दफ्तर तक

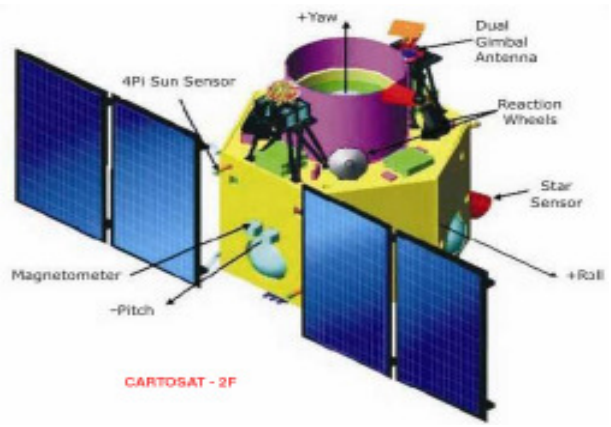

दो अन्य उपग्रह यानी माइक्रोसेट और नैनो सैटेलाइट इसरो ने प्रायोगिक तौर पर छोड़े हैं। जाहिर है, इनके सफलतापूर्वक प्रक्षेपण ने भी इसरो के वैज्ञानिकों का हौसला बढ़ाया होगा, और अब वे इस तरह की अन्य योजनाओं को कहीं ज्यादा आश्वस्ति के साथ अंजाम दे सकेंगे। इसरो ने उपग्रह प्रक्षेपण में शतक लगा कर एक ऐतिहासिक मुकाम हासिल किया है और 2018 की शुरुआत एक शानदार उपलब्धि के साथ की है। इसरो की योजना एक और चंद्रयान मिशन की है। उम्मीद की जानी चाहिए कि पिछले चंद्रयान मिशन की तरह उसका नया मिशन भी कामयाब होगा। इसरो की तमाम उपलब्धियां और सफलताएं देश की दूसरी वैज्ञानिक संस्थाओं के सामने प्रतिभा, लगन, उद्यमिता और समर्पण की मिसाल हैं, और उन्हें इसरो से प्रेरणा लेनी चाहिए।

नहीं था। आज पूरे भारत में इसरो के 13 सेंटर हैं। दरअसल वैज्ञानिकों के उत्साह और काम करने की ललक ने सरकार को भी प्रेरित किया। उसने इसरो को सिर आंखों पर बिठाया।

आज तक सिर्फ प्रधानमंत्री ही इस विभाग के मंत्री रहे हैं, इससे इसरो को बहुत फायदा हुआ है। इसरो की कार्य संस्कृति में बेहद खुलापन और प्रफेशनलिजम है। उसमें छोटे से छोटे पद पर काम करने वाला इंजिनियर या वैज्ञानिक सीधे इसरो चौयरमैन से कोई भी सवाल खुल कर पूछ सकता है। इसरो की कार्य संस्कृति में युवाओं और महिलाओं को प्राथमिकता दी जाती है। बहरहाल, इसरो की हर कामयाबी यह सवाल भी उठाती है कि देश के बाकी वैज्ञानिक संस्थान इस स्तर का प्रदर्शन क्यों नहीं कर पा रहे? वक्त आ गया है जब इस पर गंभीरता से विचार किया जाए।

'दैनिक जागरण' का सार

अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में तमाम कीर्तिमान अपने नाम कर चुके इसरो ने एक और बड़ी उपलब्धि हासिल करते हुए सफलतापूर्वक अपना 100वां उपग्रह लांच कर दिया। ध्रुवीय रॉकेट (मिशन पीएसएलवी-सी 40) ने आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से प्रातः एक मिनट विलंब से 9:29 बजे अपनी 42वीं उड़ान भरी और उसने 31 उपग्रहों को उनकी कक्षाओं में सफलतापूर्वक स्थापित कर दिया। दरअसल सावधानी बरतने के लिहाज से कभी-कभी ऐसा करना पड़ता है। इसमें देखना यह होता है कि रॉकेट जिन उपग्रहों को अंतरिक्ष में उनकी कक्षाओं में स्थापित करेगा उनकी उस समय कहीं अंतरिक्ष के मलबों से टक्कर न हो जाए। इन उपग्रहों में तीन भारतीय उपग्रह थे, शेष 28 उपग्रह विदेशी राष्ट्रों कनाडा, फिनलैंड, फ्रांस, कोरिया, ब्रिटेन और अमेरिका के थे। हमारा ध्रुवीय रॉकेट और उसकी प्रौद्योगिकी इतनी परिपक्व हो चुकी है कि हमें विदेशी ग्राहक भी उपग्रहों के प्रक्षेपण के लिए मिलने लगे हैं। इस उड़ान के पूर्व हमारे ध्रुवीय रॉकेट ने लघु और मध्यम श्रेणी के 209 विदेशी उपग्रहों का सफल प्रक्षेपण कर दिया है। अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुसार विदेशी उपग्रह प्रक्षेपण का किराया पंद्रह से बीस हजार डॉलर प्रति ग्राम पेलोड(उपग्रहों का भार) है। इस प्रकार इसरो की विपणन एजेंसी एंट्रिक्स कॉरपोरेशन ने उपग्रह प्रक्षेपण से अच्छी खासी राशि अर्जित की है।

अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के अंतर्राष्ट्रीय व्यवसाय में भारत का एक तिहाई कब्जा

यह उल्लेखनीय है कि अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के अंतरराष्ट्रीय व्यवसाय में भारत ने एक तिहाई बाजार पर अपना कब्जा कर लिया है। इस उड़ान में सर्वप्रमुख उपग्रह था कार्टोसेट-2 शृंखला का नवीनतम उपग्रह कार्टोसेट-2 एफ जिसका भार 710 किलोग्राम था। कार्टोसेट शृंखला का यह सातवां उपग्रह था। इसके साथ इसरो के ही दो और उपग्रह थे-100 किलोग्राम वजनी माइक्रो सैट और 11 किलोग्राम वजनी आइएनएस-1सी यानी इंडियन नैनो सैटेलाइट। इस उड़ान में इन उपग्रहों को दो भिन्न-भिन्न ध्रुवीय कक्षाओं में स्थापित करना था।

इसरो के कर्मठ इंजीनियरों के लिए ध्रुवीय मिशन एक चुनौती थी

यह एक चुनौती थी, लेकिन इसरो के कर्मठ इंजीनियरों ने इस मिशन को कुशलतापूर्वक अंजाम दे दिया। सबसे पहले उपग्रह कार्टोसेट-2 एफ को ध्रुवीय रॉकेट ने लिफ्ट ऑफ से 17 मिनट बाद 505 किलोमीटर की ऊंचाई वाली ध्रुवीय कक्षा में स्थापित किया। फिर शनैः-शनैः 28 विदेशी उपग्रहों को उनकी ध्रुवीय कक्षाओं में स्थापित किया। इस उड़ान में खास बात यह थी कि हमारे तीसरे उपग्रह माइक्रोसैट को 359 किलोमीटर की ऊंचाई वाली निचली कक्षा में स्थापित करना था। यह उपक्रम करने के लिए ध्रुवीय रॉकेट के चौथे चरण के इंजन को तीन बार पुनः प्रज्ज्वलित करना पड़ा ताकि उसकी गति कम हो जाए और वह 359 किलोमीटर के निम्न उन्नतांश पर आ जाए। अंततः यह मिशन दो घंटे इक्कीस मिनट बाद समाप्त हुआ।

ध्रुवीय रॉकेट अभी तक दो बार विफल रहा

ध्रुवीय रॉकेट को अभी तक मात्र दो बार विफलताओं का सामना करना पड़ा है। उसकी पहली उड़ान 20 सितंबर, 1993 को आयोजित हुई थी (मिशन पीएसएलवी-डी1) जो विफल रही थी। रॉकेट के साथ इस पर सवार उपग्रह 'आइआरएस-1ई' भी जल कर नष्ट हो गया था। इसके बाद इसरो को दूसरी विफलता से 31 अगस्त, 2017 को दो-चार होना पड़ा, जब ध्रुवीय रॉकेट (मिशन पीएसएलवी-सी 39) के तापीय कवच उससे अलग नहीं हो सके। बहरहाल इसरो के वैज्ञानिकों ने खासी मशक्कत के बाद उस तकनीकी त्रुटि का समाधान कर दिया और इस प्रकार देश-विदेश की सारी एजेंसियों पर फिर से इसरो पर भरोसा कायम हो गया। ध्रुवीय रॉकेट की सफल उड़ान से इसरो का गौरववर्धन हुआ है। साथ ही पिछली विफल उड़ान से इसरो के वैज्ञानिकों का खोया हुआ आत्मविश्वास भी लौट आया है। इस शानदार सफल उड़ान से उनमें नई उमंग जाग्रत हुई है।

इसरो अध्यक्ष एएस किरण कुमार के कार्यकाल की अंतिम उड़ान

यह उड़ान इस मायने में भी विशिष्ट थी कि इसरो के वर्तमान अध्यक्ष एएस किरण कुमार के कार्यकाल की अंतिम उड़ान थी। किरण कुमार के नाम देश के अंतरिक्ष कार्यक्रमों में उपलब्धियों के कई कीर्तिमान दर्ज हैं। वह 14 जनवरी को अवकाशमुक्त हो रहे हैं। इसरो के भावी अध्यक्ष और अंतरिक्ष विभाग के सचिव डॉ. के शिवम इसरो के नौवें अध्यक्ष होंगे। डॉ. के शिवम ने मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से एयरोनॉटिकल इंजीनियरिंग में डिग्री

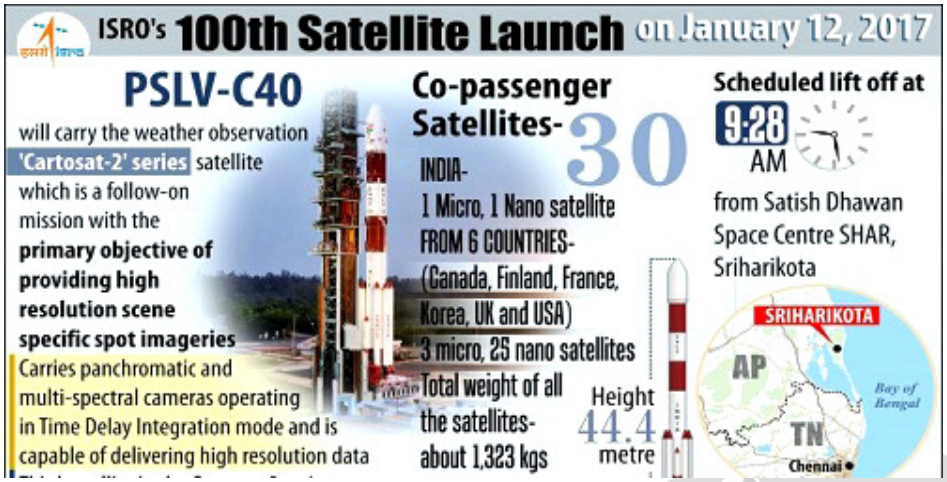

हासिल करके इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, बेंगलुरु से एमई की उपाधि अर्जित की और 1982 में इसरो ज्वाइन किया जब ध्रुवीय रॉकेट अपना रूप/आकार ले रहा था। बाद में उन्हें भारत के सर्वाधिक शक्तिशाली रॉकेट जीएसएलवी का परियोजना निदेशक बना दिया गया और कहना न होगा कि उनके निर्देशन में जीएसएलवी की सफल उड़ानें हो चुकी हैं और हमारा यह रॉकेट तकनीकी परिपक्वता अर्जित कर चुका है। फलतः इनसैट/जीसैट जैसे संचार उपग्रहों के प्रक्षेपण पर हमारी विदेशी एजेंसियों पर निर्भरता घटने लगी है। उम्मीद की जाती है इसरो की भावी उड़ानें भी बुलंदियों के नए-नए आसमान छू लेंगी।

जी.एस. वर्ल्ड टीम...

इसरो के सौंवे उपग्रह लॉन्च की प्रमुख खासियत

- इसरो ने एक साथ 31 सैटेलाइट अंतरिक्ष में लॉन्च किये जिसमें PSLV C-40 अपने साथ सबसे भारी कार्टोसैट 2 सीरीज के उपग्रह के अलावा 30 दूसरी सैटलाइट अंतरिक्ष में ले गया।
- इसमें एक भारतीय माइक्रो सैटेलाइट और एक नैनो सैटेलाइट के अलावा 28 छोटे विदेशी उपग्रह हैं।
- पृथ्वी अवलोकन के लिए 710 किलोग्राम का कार्टोसैट-2 सीरीज मिशन का प्राथमिक उपग्रह है। इसके साथ सह यात्री उपग्रह भी है, जिसमें 100 किलोग्राम का माइक्रो और 10 किलोग्राम का नैनो उपग्रह भी शामिल हैं।
- चौथे चरण के पीएसएलवी-सी-40 की ऊंचाई 44.4 मीटर और वजन 320 टन होगा। पीएसएलवी के साथ 1332 किलो वजनी 31 उपग्रह एकीकृत किए गए हैं ताकि उन्हें प्रेक्षपण के बाद पृथ्वी की ऊपरी कक्षा में तैनात किया जा सके।
- 42वें मिशन के लिए इसरो भरोसेमंद कार्योपयोगी ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान पीएसएलवी-सी40 को भेजेगा जो कार्टोसेट-2 श्रृंखला के उपग्रह और 30 सह-यात्रियों, जिनका कुल वजन करीब 613 किलोग्राम है।
- श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र के पहले लॉन्च पैड से इस 44.4 मीटर लंबे रॉकेट को प्रक्षेपित किया जाएगा।
- सह-यात्री उपग्रहों में भारत का एक माइक्रो और एक नैनो उपग्रह शामिल है जबकि छह अन्य देशों - कनाडा, फिनलैंड, फ्रांस, कोरिया, ब्रिटेन और अमेरिका के तीन माइक्रो और 25 नैनो उपग्रह शामिल किए जा रहे हैं।
- इसरो और एंट्रिक्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड के बीच हुए व्यापारिक समझौतों के तहत इन 28 अंतर्राष्ट्रीय उपग्रहों को प्रक्षेपित किया जाएगा। यह 100वां उपग्रह कार्टोसेट-2 श्रृंखला का तीसरा उपग्रह होगा।
- कुल 28 अंतर्राष्ट्रीय सह यात्री उपग्रहों में से 19 अमेरिका, पांच दक्षिण कोरिया और एक-एक कनाडा, फ्रांस, ब्रिटेन और फिनलैंड के हैं।
- चार महीने पहले 31 अगस्त 2017 इसी तरह का एक प्रक्षेपास्त्र पृथ्वी की निम्न कक्षा में देश के आठवें नेविगेशन उपग्रह को वितरित करने में असफल रहा था। पीएसएलवी-सी40 वर्ष 2018 की पहली अंतरिक्ष परियोजना है।

कार्टोसैट उपग्रह श्रंखला

- कार्टोसेट (Cartosat) भारत द्वारा निर्मित एक प्रकार की स्वदेश पृथ्वी अवलोकन उपग्रहों की श्रृंखला हैं। अब तक 7 कार्टोसेट उपग्रह इसरो द्वारा लांच किए जा चुके हैं।
- कार्टोसेट उपग्रह श्रृंखला भारतीय रिमोट सेंसिंगकार्यक्रम का एक हिस्सा है। वे विशेष रूप से पृथ्वी के संसाधन प्रबंधन और निगरानी के लिए शुरू किये गए हैं।
- पहला कार्टोसेट उपग्रह कार्टोसैट-1 जो श्रीहरिकोटा में नव निर्मित दूसरा लॉन्च पैड से 5 मई 2005 पर पीएसएलवी-सी6 द्वारा लांच किया गया था। अंतरिक्ष विभाग, भारत सरकार ने इससे पहले पृथ्वी के संसाधन प्रबंधन और निगरानी के लिए उपग्रहों की एक श्रृंखला लांच की थी।
- इन उपग्रहों को विभिन्न पैमाने में डाटा उपलब्ध कराने में बहुत सफल रहा है कार्टोसैट उन सैटलाइट्स में से एक है जो भारतीय सेना की ताकत बढ़ाने में अहम भूमिका निभाएगी।
- इसरो इससे पहले ऐसी ही सैटेलाइट अंतरिक्ष में भेज चुका है, जिससे सर्जिकल स्ट्राइक में मदद ली गई थी। सैटेलाइट की एक खासियत यह भी है कि ये मौसम की सटीक जानकारी देने में सक्षम है।
- भूकंप और बवंडर की पूर्व जानकारी इस सैटेलाइट से मिल पाएगी। रिमोट सेसिंग सैटेलाइट भारतीय जीपीएस सिस्टम को विकसित करने में मदद मिलेगी।

सिविल सेवा में विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्न

1. अंतरिक्ष विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भारत की उपलब्धियों की चर्चा कीजिए। इस प्रौद्योगिकी का प्रयोग भारत के सामाजिक आर्थिक विकास में किस प्रकार सहायक हुआ है? (IAS 2016)

2. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए- (IAS 2016)

   ISRO द्वारा प्रमोचित मंगलयान

   1. को मार्स ऑर्बिटर मिशन भी कहा जाता है।
   2. ने भारत को, यूएसए के बाद, मंगल के चारो ओर अंतरिक्ष यान को चक्रमण कराने वाला दूसरा देश बना दिया है।
   3. ने भारत को एकमात्र ऐसा देश बना दिया है, जिसने अपने अंतरिक्ष यान को मंगल के चारो ओर चक्रमण कराने में पहली बार में ही सफलता प्राप्त कर ली।

   उपर्युक्त कथनों में से कौन सा/से कथन सही है/हैं?

   (a) केवल 1
   (b) केवल 2 और 3
   (c) केवल 1 और 3
   (d) 1, 2 और 3

3. निम्नलिखित में से किन कार्यकलापों में भारतीय दूर संवेदन (IRS) उपग्रहों का प्रयोग किया जाता है? (IAS 2015)

   1. फसल की उपज का आकलन
   2. भौम जल (ग्राउंड वाटर) संसाधनों का स्थान-निर्धारण
   3. खनिज का अन्वेषण
   4. दूर संचार
   5. यातायात अध्ययन

   नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए।

   (a) केवल 1, 2 और 3
   (b) केवल 4 और 5
   (c) केवल 1 और 2
   (d) 1, 2, 3, 4 और 5

संभावित प्रश्न

1. इसरो की बढ़ती उपलब्धियां उसके तकनीकी उन्नयन को दर्शाती हैं। इस कथन के संदर्भ में हाल ही में प्रक्षेपित कॉर्टोसेट-2 एवं उसमें प्रयुक्त पीएसएलवी-40 यान की विशेषताओं की चर्चा करें तथा इनके भारत के संदर्भ में महत्व को दर्शाएं।

2. कार्टोसेट की महत्ता न केवल नागरिक कार्यों के संदर्भ में देखी जा सकती है, वरन् सैनिक एवं सामरिक हितों को साधने हेतु भी यह महत्वपूर्ण सिद्ध हुआ है। इस कथन के संदर्भ में कार्टोसेट के महत्व का आलोचनात्मक मूल्यांकन करें।

3. कार्टोसेट के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें।

   1. यह भारतीय रिमोट सेंसिंग कार्यक्रम से संबद्ध है।
   2. यह अपनी श्रृंखला का सबसे भारी उपग्रह है।
   3. इसका प्रक्षेपण ध्रुवीय कक्षा में किया गया है।

   उपर्युक्त कथनों में से कौन सा/से कथन सत्य है/हैं?

   (a) केवल 1
   (b) 2 और 3
   (c) 1 और 3
   (d) 1, 2 और 3

4. निम्नलिखित कथनों पर विचार करें।

   1. इसरो के द्वारा पीएसएलवी 39 का प्रक्षेपण सफलतापूर्वक नहीं किया जा सका था।
   2. एंट्रिक्स इसरो की व्यावसायिक शाखा है।

   उपर्युक्त कथनों में से कौन सा/से कथन सत्य है/हैं?

   (a) केवल 1
   (b) केवल 2
   (c) 1 और 2 दोनों
   (d) न तो 1, न ही 2

You deserve the best...

I A S **GS World** P C S

Committed To Excellence

COMPREHENSIVE LEARNING WORKSHOP FOR PERSONALITY TEST

Don't Wait, let's prepare yourself for a big day...

19 Jan. 2018

Asthanand Pathak
DAF Analysis
(12:00pm to 2:00pm)

Manikant Singh & Deepak Kumar
How to take stand on Debatable Issues.
(2:15pm to 4:15pm)

20 Jan. 2018

Asthanand Pathak
Administrative Issues
(12:00pm to 2:00pm)

Prof. Pushpesh Pant
Current & International Issues
(2:15pm to 4:15pm)

21 Jan. 2018

Dr. Abhay Anand Tiwari
Renowned Psychologist & Famous Motivator
(2:00pm to 5:00pm)

Do You Know...?

- How you should prepare your **DAF**.
- How to tackle the questions about **HOBBIES**.
- How to enhance the marks in **INTERVIEW**.
- How to tackle **HYPOTHETICAL QUESTIONS**.

CSE-2017

Mock Interview Programme

Interview Board -1	Interview Board -2	Interview Board -3
Prof. Pushpesh Pant (JNU)	R.V. Singh (Rted. IRTS, 1979 Batch)	Prof. Pushpesh Pant (JNU)
Pradeep Borar (IAS-Rajasthan)	Virendra Bahadur Singh (Rted. DG, Haryana)	Ashthanand Pathak (IARS)
Prof. A.K. Dubey (DU)	Chandra Prakash Singh (Rted. Additional Chief Secretary, Tamilnadu)	Hemant Sati (IAS)
Renowned Psychologist	Renowned Psychologist	Renowned Psychologist

Subject Expert Panel

Manikant Singh (History), Alok Ranjan (Geography)
Rameshwar (Economy), Dr. S.S. Pandey (Sociology)
Deepak Kumar (Philosophy), Arvind Mishra (Hindi Literature)

You Can Meet Our Subject Experts for Any Assistance Related your Interview Exam

One to One Guidance

03 Feb. 2018

Nitish Kumar (IAS)
Rank -23 CSE-2016

Time
10:00 am to 1:00pm
3:00pm to 6:00pm

04 Feb. 2018

Hemant Sati (IAS)
Rank -88 CSE-2016

Send Your DAF to gsworldias@gmail.com

629, Ground Floor, Main Road, Dr. Mukherjee Nagar, Delhi-09

#7042772063 9540503870